भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि जनगणना 2021-22

अनुदेश मैनुअल
डेटा संग्रह अनुसूची (चरण-II)

कृषि संगणना 2021-22
के लिए
डेटा संग्रह अनुसूची (चरण II) संबंधी
निर्देश-पुस्तिका

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली

विषय-सूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं .
	खंड क : सामान्य दिशानिर्देश	
1.	प्रस्तावना	
2.	उद्देश्य	
3.	कृषि संगणना 2021-22 में नई पहलें	
4.	संदर्भ वर्ष	
5.	समय-सारणी	
6.	डेटा संग्रह पद्धति	
7.	प्रशिक्षण	
8.	फील्ड कार्य	
9.	आंकड़ा प्रस्तुत करने और अंतिम रूप देने का चैनल	
10.	ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रगति की निगरानी	
11.	क्षेत्र मापन के लिए इकाइयाँ	
12.	निर्देश-पुस्तिका	
13.	प्रचार-प्रसार	
14.	स्पष्टीकरण की मांग	
	खंड ख : भूमिका और जिम्मेदारियां	
15.	डेटा संग्रहण में हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियां	
	राज्य कृषि संगणना इकाई	
	सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	
	पर्यवेक्षक	
	प्रगणक	
	खंड ग : डेटा संग्रह के लिए निर्देश	
16.	विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए गतिविधियों का प्रवाह आरेख	
17.	कृषि संगणना पोर्टल तक पहुँच संबंधी निर्देश	
18.	उपयोगकर्ताओं के लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने हेतु सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए निर्देश	
19.	पर्यवेक्षक को संवीक्षा कार्य करने के निर्देश	
20.	प्रगणकों को निर्देश	
21.	अनुसूचियां भरने के लिए प्राइमरी वर्कर्स को निर्देश	
	खंड घ : अनुबंध	
अनुबंध-I	अनुसूची	
अनुबंध -II	अवधारणाएं और परिभाषाएं	
अनुबंध -III	फसल कोड की सूची	

खंड-क : सामान्य दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना

1.1 कृषि संगणना देश में कृषि सांख्यिकी के संग्रह की व्यापक प्रणाली का हिस्सा है। यह देश में कृषि क्षेत्र की संरचना के बारे में मात्रात्मक जानकारी के संग्रह और व्युत्पत्ति के लिए एक बड़े पैमाने पर सांख्यिकीय प्रचालन है। कृषि संगणना के माध्यम से, देश में कृषि प्रचालन जोतों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर बुनियादी डेटा एकत्र करने का प्रयास किया जाता है। कृषि के विकास के लिए सूक्ष्म स्तर पर निर्णय लेने के लिए एक कृषि प्रचालन जोत अंतिम इकाई होती है। यही कारण है कि कृषि की संरचना का वर्णन करने के लिए एक प्रचालन जोत को डेटा संग्रह की सांख्यिकीय इकाई के रूप में लिया जाता है। कृषि संगणना के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा का एकत्रीकरण प्रशासनिक इकाइयों के विभिन्न स्तरों, जैसे, गांव/तहसील (उप-जिला)/ब्लॉक, जिला, राज्य और पूरे भारत में किया जाता है।

1.2 आवधिक कृषि संगणना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रचालन जोत की बुनियादी विशेषताओं जैसे भूमि उपयोग और फसल पैटर्न, सिंचाई और काश्तकारी विवरण के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत हैं। यह जानकारी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित विभिन्न आकार के जोत और सामाजिक समूहों द्वारा सारणीबद्ध की जाती है, जो विकास योजना, सामाजिक-आर्थिक नीति निर्माण और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की स्थापना के लिए आवश्यक हैं। संगणना कृषि सांख्यिकी की एक व्यापक एकीकृत राष्ट्रीय प्रणाली के विकास के लिए आधार प्रदान करती है और राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली के विभिन्न घटकों के साथ संबंध रखती है।

1.3 देश में कृषि संगणना की पूरी परियोजना तीन अलग-अलग चरणों में कार्यान्वित की जाती है, जो सांख्यिकीय रूप से एक साथ जुड़ी हुई हैं लेकिन कृषि सांख्यिकी के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। चरण- I में, देश भर में संपूर्ण गणना के आधार पर एकत्र किए गए विभिन्न प्रचालन जोतों, सामाजिक समूह, महिला किसान, काश्तकारी की स्थिति, जोत के प्रकार आदि जैसे मालिकों / प्रचालन धारकों की प्रचालन जोतों की प्राथमिक विशेषताओं जैसे जोतों की संख्या और क्षेत्र पर डेटा। चरण- II में, प्रत्येक तहसील (उप-जिला) में चयनित 20% नमूना गांवों से जोत की विशेषताओं जैसे फसल पैटर्न, सिंचाई की स्थिति आदि पर डेटा एकत्र किया जाता है। चरण-III में, प्रत्येक तहसील (उप-जिला) में 7% नमूना गांवों की चयनित जोतों से प्रचालन जोतों के इनपुट उपयोग पैटर्न पर डेटा एकत्र किया जाता है।

2. उद्देश्य:

2.1 कृषि संगणना डेटा का उपयोग विभिन्न हितधारकों द्वारा विकास योजना, सामाजिक-आर्थिक नीति निर्माण और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की स्थापना के लिए किया जाता है। कृषि संगणना के मुख्य उद्देश्य हैं:

2.1.1 प्रचालन जोतों की संख्या और क्षेत्रफल, भूमि उपयोग, फसल पैटर्न, इनपुट उपयोग के पैटर्न आदि के आधार पर कृषि क्षेत्र की संरचना और विशेषताओं का वर्णन करना।

2.1.2 न्यूनतम भौगोलिक स्तर (जिला/गांव/तहसील (उप-जिला)) तक बेंचमार्क डेटा प्रदान करना, जो कि नए कृषि विकास कार्यक्रम तैयार करने और उनकी प्रगति के मूल्यांकन के लिए आवश्यक है।

2.1.3 भविष्य के कृषि सर्वेक्षण करने के लिए प्रचालन जोत का सांख्यिकीय ढांचा प्रदान करना।

3. कृषि संगणना 2021-22 के चरण-II में नई पहलें

3.1 कृषि संगणना 2021-22 के चरण-II में शुरू की गई नई पहलें इस प्रकार हैं:

3.1.1 डिजिटलीकरण और उपलब्धता की स्थिति के आधार पर डिजीटल भूमि अभिलेखों का उपयोग।
3.1.2 स्मार्टफोन/टैबलेट/लैपटॉप/पर्सनल कंप्यूटर जैसे हैंड-हेल्ड डिवाइस का उपयोग करके ऐप/सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा का संग्रह।
3.1.3 वेब पोर्टल के माध्यम से प्रगति की रीयल टाइम निगरानी और डेटा/सॉफ्टवेयर अपलोड/डाउनलोड करना।

3.2 इन उपायों से चरण-II में बढ़ी हुई गति और सटीकता के साथ डेटा संग्रह हो पाएगा। ट्रांसक्रिप्शन और एकत्रीकरण त्रुटियों में कमी के कारण डेटा की सटीकता में काफी सुधार होने की उम्मीद है। विभिन्न आईसीटी प्रौद्योगिकियों के उपयोग से प्राथमिक डेटा संग्रह की निगरानी और डेटा प्रसार में भी तेजी आएगी।

4. संदर्भ वर्ष

4.1 चरण-II डेटा संग्रह के लिए संदर्भ अवधि 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक है:

5. समय-सारणी

6.1 कृषि संगणना 2021-22 के चरण-II को कार्यान्वित करने के लिए संभावित कार्यक्रम निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कार्य की मदें	समय-सारणी
i)	चरण-II के लिए मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन	फरवरी,2024
ii)	प्रौद्योगिकी भागीदार और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर/तकनीकी मुद्दों पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।	
iii)	सॉफ्टवेयर/तकनीकी मुद्दों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी फील्ड पदाधिकारियों को मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण	मार्च-मई, 2024
iv)	चरण-II डेटा के संग्रह के लिए फील्ड कार्य	जून-अगस्त, 2024
v)	चरण-II डेटा की छटांई/सत्यापन और प्रसंस्करण	सितंबर, 2024 तक
vi)	संगणना के चरण-II आउटपुट तालिकाओं को अंतिम रूप देना और उनका प्रसार करना	दिसंबर, 2024 तक

5.2 कृषि संगणना 2021-22 के लिए गठित राज्य स्तरीय समन्वय समितियां (एसएलसीसी) प्रत्येक गतिविधि को समय पर पूरा करने के लिए चरण- II की सभी गतिविधियों का पर्यवेक्षण और समन्वय करेंगी।

6. डेटा संग्रह की कार्यप्रणाली

6.1 विस्तृत डेटा संग्रह के लिए, अर्थात (i) विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत क्षेत्र, तथा (ii) फसलों के अंतर्गत क्षेत्र, तहसील स्तर पर बिना प्रतिस्थापन के यादृच्छिक रूप से चयनित 20 प्रतिशत गाँव आधार बनेंगे। ये 20 प्रतिशत गाँव वे होंगे जो कृषि संगणना के संदर्भ वर्ष के लिए भूमि रिकॉर्ड राज्यों में समयबद्ध रिपोर्टिंग योजना (टीआरएस) तथा गैर-भूमि रिकॉर्ड राज्यों में कृषि सांख्यिकी रिपोर्टिंग एजेंसी (ईएआरएएस) की स्थापना के लिए चुने गए हैं। जिन राज्यों में टीआरएस तथा ईएआरएएस के अंतर्गत 20 प्रतिशत से कम गाँव चुने गए हैं, वहाँ प्रत्येक तहसील में चयनित गाँवों की संख्या को 20 प्रतिशत तक लाने के लिए बिना प्रतिस्थापन के सरल यादृच्छिक नमूनाकरण के अंतर्गत अतिरिक्त गाँवों का चयन किया जाना चाहिए।

6.2 संगणना संचालन के चरण-II के दौरान चयनित 20 प्रतिशत गांवों में सभी जोतों (या सर्वेक्षण संख्याओं) के लिए विस्तृत जोत अनुसूची-एच भरी जाएगी। इन 20 प्रतिशत गांवों में, उपर्युक्त विशेषताओं से संबंधित जानकारी सभी निवासी कृषकों के संबंध में मूल गांव रिकॉर्ड, यानी खतौनी/खसरा/फसल रजिस्टर और घरेलू जांच से संकलित/अद्यतन की जाएगी। शहरी क्षेत्रों के निवासी कृषकों को भी कवर किया जाएगा।

6.3 भूमि उपयोग और फसल पैटर्न जैसी मदों के लिए, सर्वेक्षण संख्या-वार या जोत-वार विवरण इन-बिल्ट सत्यापन जांच **(अनुबंध-I में अनुसूची-एच)** के साथ ऐप/सॉफ्टवेयर के माध्यम से एकत्र करना होगा। 20 प्रतिशत चयनित गांवों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, भूमि रिकॉर्ड राज्यों और गैर-भूमि रिकॉर्ड राज्यों के मामले में लागू उपयुक्त अनुमान प्रक्रिया को अपनाने के बाद तालुक/जिला/राज्य स्तर पर तालिकाएं तैयार की जाएंगी।

7. प्रशिक्षण

7.1 वास्तविक फील्ड कार्य के संचालन से पहले प्राइमरी वर्कर्स के साथ-साथ पर्यवेक्षी अधिकारियों, दोनों को गहन प्रशिक्षण देना आवश्यक है। प्राइमरी और पर्यवेक्षी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रत्येक राज्य की स्थितियों के आधार पर 2/3 स्तरों पर की जा सकती है। पर्यवेक्षक के रूप में कृषि संगणना प्रचालन के प्रभारी जिला/ब्लॉक/तहसील (उप-जिला) स्तर के अधिकारियों को शुरू में या तो राज्य मुख्यालय या मंडल मुख्यालय में प्रशिक्षित किया जा सकता है। तब उन्हें प्राइमरी वर्कर्स को प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूचना भारत सरकार को अग्रिम रूप से दी जानी चाहिए ताकि कृषि संगणना प्रभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक अधिकारी को क्षेत्र कार्य के दौरान पालन की जाने वाली अवधारणाओं, परिभाषाओं या प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षण के दौरान उठाए गए किसी भी संदेह को स्पष्ट करने के लिए दायित्व सौंपा जा सके।

7.2 कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, संगणना को क्रियान्वित करने में सीधे तौर पर शामिल सभी राज्य कृषि संगणना अधिकारियों के मास्टर प्रशिक्षकों के लिए एक अखिल भारतीय सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा और डेटा संग्रह के दौरान प्राइमरी के साथ-साथ पर्यवेक्षी कर्मचारियों द्वारा उपयोग के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रशिक्षण वीडियो भी प्रदान करेगा।

7.3 प्रशिक्षुओं को स्थानीय भाषा में निर्देशपुस्तिका की प्रतियां अग्रिम रूप से उपलब्ध कराई जाए। प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के लिए आने से पहले निर्देश-पुस्तिका और अनुसूची को पढ़ने का निर्देश दिया जाए। यह प्रशिक्षुओं द्वारा डेटा संग्रह की अवधारणाओं, परिभाषाओं और प्रक्रियाओं को आसानी से समझने की सुविधा प्रदान करेगा। प्रशिक्षु प्रशिक्षण सत्र में तैयार होकर किसी भी संदेह, जो निर्देश-पुस्तिका को पढ़ने के दौरान उत्पन्न हो सकता है, के स्पष्टीकरण के लिए आ सकते हैं।

7.4 चरण-II ऑपरेशन में, 20 प्रतिशत नमूनों के अंतर्गत शामिल किए गए दावों के लिए प्राइमरी वर्कर्स को हॉल्डिंग शेड्यूल-एच को भरते समय कुछ और विस्तृत कार्य करने की आवश्यकता है।

7.5 संगणना कर्मियों के प्रशिक्षण के दौरान शामिल किए जाने वाले बिंदु:

प्रशिक्षण में आवश्यक रूप से निम्नलिखित बिंदुओं के बारे में स्पष्टीकरण/विस्तार शामिल होना चाहिए:

i. गांव में मालिक और प्रचालन धारक दोनों के सभी सर्वेक्षण का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने की प्रक्रिया।
ii. ग्राम भूमि अभिलेखों (या डिजिटल भूमि अभिलेखों से एकत्रित किए गए डेटा का उपयोग) और अनुपलब्ध क्षेत्रों के अद्यतन से डेटा के पुन: सारणीकरण की प्रक्रिया।
iii. पालन की जाने वाली अवधारणाओं और परिभाषाओं में किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए अनुसूची के संपूर्ण प्रारूप को मद-वार स्पष्ट किया जाना चाहिए।
iv. संगणना में प्रयुक्त अवधारणाओं तथा परिभाषाओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए।
v. डेटा संग्रह/निगरानी आदि के लिए ऑनलाइन पोर्टल के उपयोग की प्रक्रिया।

vi. ऐप/सॉफ्टवेयर और इससे जुड़े चरणों के माध्यम से डेटा संग्रह के लिए हैंड-हेल्ड डिवाइस के उपयोग पर उचित निर्देश।

vii. डेटा संग्रह में स्मार्टफोन/टैबलेट/लैपटॉप/पर्सनल कंप्यूटर जैसे हैंड-हेल्ड उपकरणों के उपयोग पर सभी प्राइमरी वर्कर्स को व्यावहारिक प्रशिक्षण।

viii. डेटा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, डेटा की जांच और सुधार (यदि पर्यवेक्षकों द्वारा कोई त्रुटि देखी जाती है या संदर्भित की जाती है), प्रगति की निगरानी, लंबित स्थिति की जांच और गांव टी -1 तालिका (डेटा की शुद्धता) तैयार करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जाना विस्तार से समझाया जाना है।

7.6 प्रशिक्षण में शामिल की जाने वाली कुछ प्रक्रियाओं की रूपरेखा इस प्रकार है:

7.6.1 सर्वेक्षण संख्या की पूरी सूची: संगणना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा चयनित गांवों में सर्वेक्षण संख्या की सूची संकलित करना है जो चरण-I के डेटाबेस पर आधारित होगी। संकलन करते समय, कर्मी को मूल ग्राम रिकॉर्ड में सभी सर्वेक्षण नंबरों को देखना होगा, जैसे 'खतौनी' और 'खसरा रजिस्टर' और/या कोई अन्य सदृश स्थानीय संस्करण, और देखना होगा कि क्या गांव के सभी भौगोलिक क्षेत्र कवर किए गए हैं। तथापि डेटा संग्रह के दौरान चरण-I से एकत्रित किए गए डेटा का उपयोग किया जाता है, डेटा को संकलित करते समय भौतिक और साथ ही डिजिटल भूमि रिकॉर्ड का उल्लेख करना चाहिए और गांव के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का पूरा कवरेज सुनिश्चित करना चाहिए। यह भी ध्यान दिया जाए कि प्राइमरी वर्कर्स/पर्यवेक्षी कर्मचारी न केवल अपनी जानकारी का उपयोग करें बल्कि गांव के जानकार व्यक्ति से भी परामर्श करें या संबंधित क्षेत्रों को भरने और अद्यतन करने से पहले आवश्यक स्थानीय पूछताछ करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गुणवत्तापूर्ण डेटा एकत्र किया गया है।

7.6.2 'खसरा रजिस्टर' के अभाव में, (या गैर-भूमि रिकॉर्ड राज्यों में) प्राइमरी वर्कर्स को गांव के प्रत्येक घर का दौरा करना होता है और प्रचालन धारक द्वारा चयनित गांव में प्रचालित क्षेत्र का रिकॉर्ड रखना तथा प्रचालित क्षेत्र के कवरेज को सुनिश्चित करना होता है।

7.6.3 अवधारणाएं और परिभाषाएं: वर्तमान संगणना में उपयोग की जाने वाली अवधारणाओं और परिभाषाओं को प्राइमरी वर्कर्स और पर्यवेक्षी अधिकारियों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। इन अवधारणाओं को **अनुबंध-II** में समझाया गया है।

7.6.4 भरे जाने वाले फॉर्म: क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा भरे जाने वाले फॉर्मों पर ऐप/सॉफ्टवेयर में विभिन्न ब्लॉकों के संबंध में विशिष्ट निर्देश देते हुए पूरी तरह से चर्चा की जानी चाहिए। फॉर्म भरने के लिए विस्तृत निर्देश **इस निर्देश-पुस्तिका के खंड ग** में दिए गए हैं।

7.6.5 यूनिटों की प्रणाली तथा अंकों की लिपि: चरण-I में उपयोग किए गए यूनिट, चरण-II सॉफ्टवेयर में स्वतः ही उपस्थित होंगे तथा उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होगी।

7.6.6 एच-अनुसूची में क्रॉप-कोड्स को **अनुबंध-III** के अनुसार सही ढंग से भरे जाने चाहिए।

8. फील्डकार्य:

8.1 एनईआईएलआईटी,कोलकत्ता कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से परामर्श करके सेंट्रल सर्वर के माध्यम से एप्प/सॉफ्टवेयर पर चुने गए 20%गावों को चरण-I में अपलोड करेगा। चूंकि एंड्रॉइड या वेब एप्लिकेशन का उपयोग करके सभी तहसीलों से 20% चयनित सैम्पल गाँवों पर डेटा एकत्र किया जाना है, इसलिए संबंधित नोडल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विभाग को गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने की समय-सीमा को ध्यान में

रखते हुए जनशक्ति की उपलब्धता पर निर्भर सभी प्राइमरी वर्कर्स या पर्यवेक्षकों को गांवों को सौंपा जाना/आबंटित किया जाना चाहिए। सभी प्राथमिक कार्यकर्ताओं को डेटा संग्रहण कार्य शुरू करने के लिए अपने स्वयं के उपकरणों में इनबिल्ट चरण I डेटा के साथ विकसित ऐप/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहिए। चूंकि भूमि अभिलेखों के डिजिटीकरण की स्थिति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकरूपता नहीं है, इसलिए निकाले गए डेटा की उपलब्धता अथवा भूमि अभिलेखों के अनुरक्षण के आधार पर आंकड़े संग्रहण की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न हो सकती है।

8.1 उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में जहां भूमि अभिलेखों का समुचित रूप से डिजिटलीकरण और रखरखाव/पहुंच है, वहां खसरा या फसल रजिस्टर का संदर्भ लेकर तथा उपलब्ध चरण- I डेटाबेस को अद्यतन करके डेटा एकत्र किया जाना है।

8.2 जबकि, उन राज्यों में जहां डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड और खसरा रिकॉर्ड डेटाबेस का उचित रखरखाव नहीं किया गया है या वे उपलब्ध नहीं हैं या पहुंच योग्य नहीं हैं, वहां चरण-II में उपलब्ध चरण-1 डेटाबेस को पूरक या अद्यतन करके घर-घर जांच दृष्टिकोण के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाना आवश्यक है।

9. डेटा प्रस्तुत करने और अंतिम रूप देने का चैनल।

9.1 एंड टू एंड सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जो क्षेत्र स्तर के डेटा संग्रह से लेकर अंतिम डेटा के प्रसार तक की संगणना प्रचालनों की सभी घटक गतिविधियों को कवर करता है। यह न केवल परिणामों के प्रकाशन में समय अंतराल को कम करेगा, बल्कि डेटा की गुणवत्ता में बहुत सुधार करेगा।

9.2 प्राइमरी वर्कर्स या तो निकाले गए डिजीटल खसरा रिकॉर्ड या फसल पंजीकरण या वास्तविक भूमि रिकॉर्ड या फसल पंजीकरण या घर-घर जांच का उपयोग करके ऐप/सॉफ्टवेयर के माध्यम से हेन्ड-हेल्ड डिवाईस का उपयोग करके डेटा एकत्र करेंगे और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जांच के लिए पर्यवेक्षकों को एकत्र किए गए डेटा को प्रस्तुत करेंगे। पर्यवेक्षक तब ग्रामीण स्तर पर एकत्र किए गए डेटा की पूरी तरह से जांच करेंगे और यदि संतुष्ट हो जाते हैं, तो प्रसंस्करण / अनुमान के लिए डेटा स्वीकार करेंगे। तथापि, यदि संवीक्षा या प्रसंस्करण स्तर पर कोई त्रुटिपूर्ण अनुसूचियां देखी जाती हैं, तो उसे सुधार के लिए संबंधित प्राथमिक कामगार को डेटा सुधार के लिए वापस भेज दिया जाएगा। इस एक ही चक्र का पालन तब तक किया जाएगा जब तक कि सभी पस्तुत किए गए डेटा को प्रसंस्करण/अनुमान के लिए त्रुटि मुक्त नहीं किया जाता है।

9.3 इसके बाद, सॉफ्टवेयर, गांव/तहसील (उप-जिला)/जिला/राज्य/अखिल भारतीय स्तर पर तालिकाओं के सृजन को सक्षम करेगा। परिणामों को समय पर अंतिम रूप देने के लिए, परिणामों पर चर्चा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन किया जाना है। अंतिम रूप दिए जाने के बाद, डेटा को पोर्टल के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा और चरण-II के लिए परिचालन होल्डिंग्स पर अखिल भारतीय रिपोर्ट के लिए भी उपयोग किया जाएगा।

9.4 संग्रह से प्रस्तुत करने के लिए डेटा प्रवाह को निम्नानुसार दर्शाया गया है:

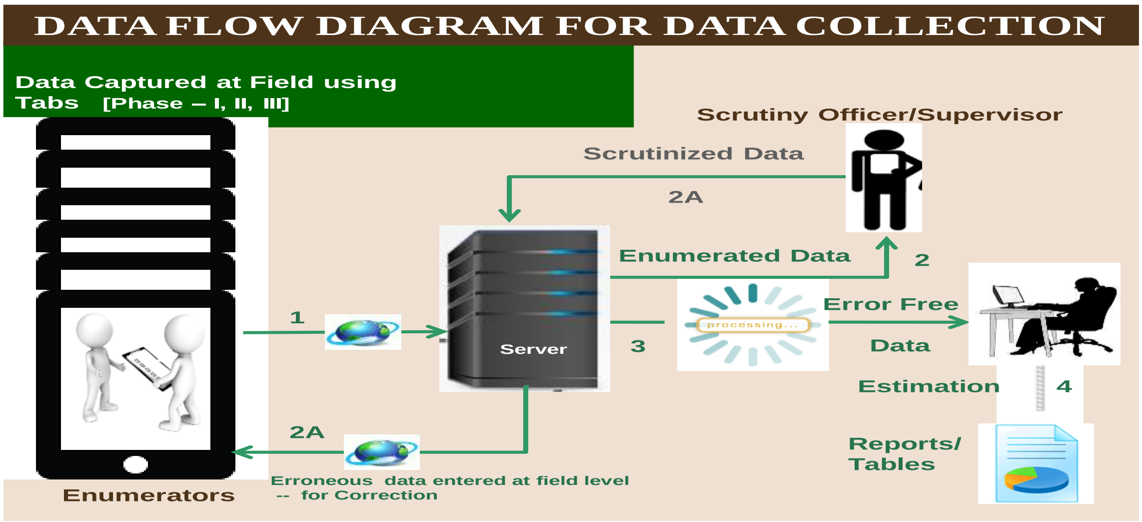

10. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रगति की निगरानी:

10.1 कृषि संगणना प्रचालनों की प्रगति की निगरानी वेब पोर्टल के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर की जाएगी। केन्द्र के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मुख्यालय में एक समर्पित दल कार्य की प्रगति की सक्रिय रूप से निगरानी करेगा और प्राथमिकता के आधार पर मुद्दों, यदि कोई हो, का समाधान करेगा। निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए, केन्द्र/राज्य/जिला, तहसील (उप-जिला)/ब्लॉक/तालुका स्तर पर बहु-स्तरीय निगरानी प्रणाली अपनाई जाएगी। प्राइमरी वर्कर्स के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यवेक्षी अधिकारियों की वास्तविक प्रगति को नियमित आधार पर पोर्टल पर स्वचालित रूप से अद्यतन कर दिया जाएगा। डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने और समय पर कार्य को पूरा करने के लिए, तहसील (उप-जिला)/ब्लॉक/जिला/राज्य मुख्यालय के राज्य अधिकारियों के साथ-साथ केन्द्र के अधिकारियों को डेटा संग्रहण अवधि के दौरान नियमित रूप से फील्ड विजिट/निरीक्षण करने चाहिए और फील्ड कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करनी चाहिए।

11. क्षेत्र के मापन के लिए इकाइयाँ

11.1 चरण-I में उपयोग की गई इकाई चरण-II साफ्टवेयर में स्वत ही परिलक्षित होगी और इकाई को परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

12. निर्देश-पुस्तिका

12.1 यह निर्देश-पुस्तिका कृषि संगणना 2021-22 के चरण-I के कार्यक्रम की फाइलिंग करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देशों के रूप में कार्य करेगा। यह समान रूप से पालन की जाने वाली अवधारणाओं, परिभाषाओं और प्रक्रियाओं, संगणना कार्य से जुड़े कर्मचारियों को प्रशिक्षण की रूपरेखा और पर्यवेक्षण की प्रकृति पर एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करेगा । इन दिशा-निर्देशों को राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्याख्या की जानी चाहिए, जब वे वास्तव में डेटा संग्रह के लिए आगे बढ़ते हैं, तो क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से पहले क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रसारित किया जाना चाहिए। यह निर्देश-पुस्तिका फील्ड कार्य शुरू करने से पहले सभी फील्ड कर्मियों को वितरित किया जाना चाहिए।

13. प्रचार-प्रसार

13.1 कृषि संगणना के लिए प्रचार-प्रसार के महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। अनुभव से पता चलता है कि पर्याप्त प्रचार-प्रसार और संवेदनशीलता उत्तरदाताओं से सहयोग प्राप्त करने में मदद करती है और इस तरह गुणवत्ता डेटा एकत्र करती है और समय पर काम पूरा करती है। राज्य सरकारों को विभिन्न मास मीडिया प्लेटफार्मों (रेडियो/टेलीविजन/प्रेस आदि) और ग्राम पंचायतों के माध्यम से कृषि संगणना के महत्व के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए सक्रिय कदम उठाने

चाहिए और इस व्यापक कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए लोगों के बीच आवश्यक जागरूकता पैदा करनी चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उत्तरदाताओं को डेटा के महत्व से अवगत कराया जाए और उन्हें यह भी बताया जाना चाहिए कि कृषि संगणना के लिए उनके द्वारा प्रदान किए गए डेटा, विशेष रूप से पट्टेदारी, जोत के विभाजन या खेती की गई फसलों से संबंधित पहलुओं पर कानून की किसी भी अदालत में किसी भी विवाद के निपटारे के लिए या उन पर लगाए जाने वाले किसी भी कर का निर्णय लेने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

14. स्पष्टीकरण की मांग

14.1 कृषि संगणना 2021-22 के लिए अवधारणाओं, परिभाषाओं और प्रक्रियाओं के बारे में कोई भी मुद्दा, जिसे राज्य स्तर पर स्पष्ट नहीं किया जा सका, को निम्नलिखित पते पर भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए:

सुश्री सी एच हन्नी,
उप महानिदेशक-सह-कृषि संगणना आयुक्त,
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
टेलीफोन नंबर :011-23383708.
ई-मेल : agcensus.krishi@nic.in

खंड – ख: भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

15. डेटा संग्रह में हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ:

डेटा संग्रहण में शामिल अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियां नीचे दी गई हैं:

15.1 **राज्य कृषि संगणना इकाई**: कृषि संगणना कार्यों के निष्पादन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सौंपी गई है, जिसमें केंद्र द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाती है। कृषि संगणना के लिए डेटा संग्रह का यह विशाल कार्य प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित कृषि संगणना इकाई द्वारा समन्वित किया जाता है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं (जैसे पटवारी/तलाठी/ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता/कर्णम/जांचकर्ता आदि) की सहायता से किया जाता है। राज्य कृषि संगणना इकाई में अधिकारियों की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल हैं: (i) कृषि संगणना आयोजित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधियाँ, (ii) प्रत्येक तहसील से 20% गाँवों का चयन, (iii) सिस्टम प्रशासक की भूमिका की पहचान और उन्हें सौंपना, (iv) प्राथमिक श्रमिकों / पर्यवेक्षकों की पहचान और लॉगिन क्रेडेंशियल बनाना, (v) प्राथमिक श्रमिकों के साथ-साथ पर्यवेक्षकों को गाँवों का आवंटन, (vi) चयनित 20% गाँवों की सूची और उसका निकाला गया डेटा उपलब्ध कराना, (vii) एनआईसी, भूमि राजस्व विभाग और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय, (viii) जागरूकता/प्रचार अभियान आयोजित करना, (ix) प्राथमिक श्रमिकों / पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, (x) सिस्टम प्रशासक द्वारा प्रदान किए गए लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके निगरानी पोर्टल के माध्यम से डेटा संग्रह की प्रगति की निगरानी करना, (xi) नियमित क्षेत्र निरीक्षण करना, (xii) डेटा की जांच और अंतिम रूप देना आदि। तकनीकी पहलुओं के अलावा, इकाई निधि रिलीज, उपयोग और अप्रयुक्त शेष राशि, यूसी जारी करने के सभी पहलुओं पर रिकॉर्ड भी बनाए रखती है और विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार मासिक व्यय विवरण के माध्यम से वित्तीय प्रगति को मॉनिटर करती है।

15.2 **सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर**: सिस्टम प्रशासक की भूमिका महत्वपूर्ण होगी क्योंकि डेटा संग्रह में प्रौद्योगिकी का उपयोग पहली बार शुरू किया गया है। राज्य के सिस्टम प्रशासक की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल हैं: (i) राज्य में विभिन्न स्तरों पर सभी फील्ड कार्यकर्ताओं को लॉगिन क्रेडेंशियल (यूजर आईडी और पासवर्ड) आवंटित करना/प्रदान करना, (ii) डेटा संग्रह और जांच करने के लिए फील्ड कार्यकर्ताओं (प्राथमिक और पर्यवेक्षकों) को गांवों का आवंटन करना, (iii) संगणना संचालन में शामिल फील्ड कार्यकर्ताओं और कर्मियों को नियमित तकनीकी मार्गदर्शन देना, (iv) आईटी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन और राज्य के सभी फील्ड कार्यकर्ताओं के लिए ऐप्स/वेब आधारित एप्लिकेशन से संबंधित सभी तकनीकी मुद्दों का समाधान करना आदि।

15.3 **पर्यवेक्षक**: पर्यवेक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का प्रभावी पर्यवेक्षण क्षेत्र से गुणवत्तापूर्ण डेटा का प्रवाह सुनिश्चित करता है और निर्धारित समय-सारिणी और निर्देशों के अनुसार कार्य पूरा करता है। कई बार, पर्यवेक्षक को संबंधित राज्य में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर उसके अधीन काम करने वाले सभी क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल (यूजर आईडी और पासवर्ड) बनाने की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। कृषि संगणना कार्य के लिए पर्यवेक्षक (तहसील (उप-जिला)/ब्लॉक/जिला स्तर के अधिकारी) के रूप में नियुक्त अधिकारियों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राथमिक कार्यकर्ताओं की प्रगति की सक्रिय रूप से निगरानी करनी चाहिए। पर्यवेक्षक की मुख्य जिम्मेदारी

प्रसंस्करण/अनुमान के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्राथमिक कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए सभी डेटा की जांच और अनुमोदन करना है।

15.4 **प्रगणक**: कृषि संगणना के लिए डेटा संग्रह का कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के विभिन्न विभागों के गणनाकार या प्राथमिक कार्यकर्ता या क्षेत्र कार्यकर्ता (जैसे पटवारी/तलाथी/ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता/कर्णम/जांचकर्ता आदि) द्वारा किया जाता है। प्राथमिक कार्यकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निर्देश पुस्तिका के अनुसार डेटा संग्रह कार्य करेगा और गुणवत्तापूर्ण डेटा का संग्रह सुनिश्चित करेगा। वह चरण-I डेटाबेस से पहले से भरे गए मूल पहचान के साथ आने वाले निर्धारित ऐप/सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा संग्रह के लिए हाथ में पकड़े जाने वाले उपकरणों का उपयोग करेगा। उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पर्यवेक्षक द्वारा जांच और अनुमोदन के लिए नियमित रूप से केंद्रीय सर्वर पर डेटा अपलोड करे, और अनुमोदन से पहले उठाए गए विभिन्न प्रश्नों/स्पष्टीकरणों का उत्तर दे।

खंड – ग: डेटा संग्रह के लिए निर्देश

16. विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए गतिविधियों का प्रवाह आरेख:

16.1 सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए

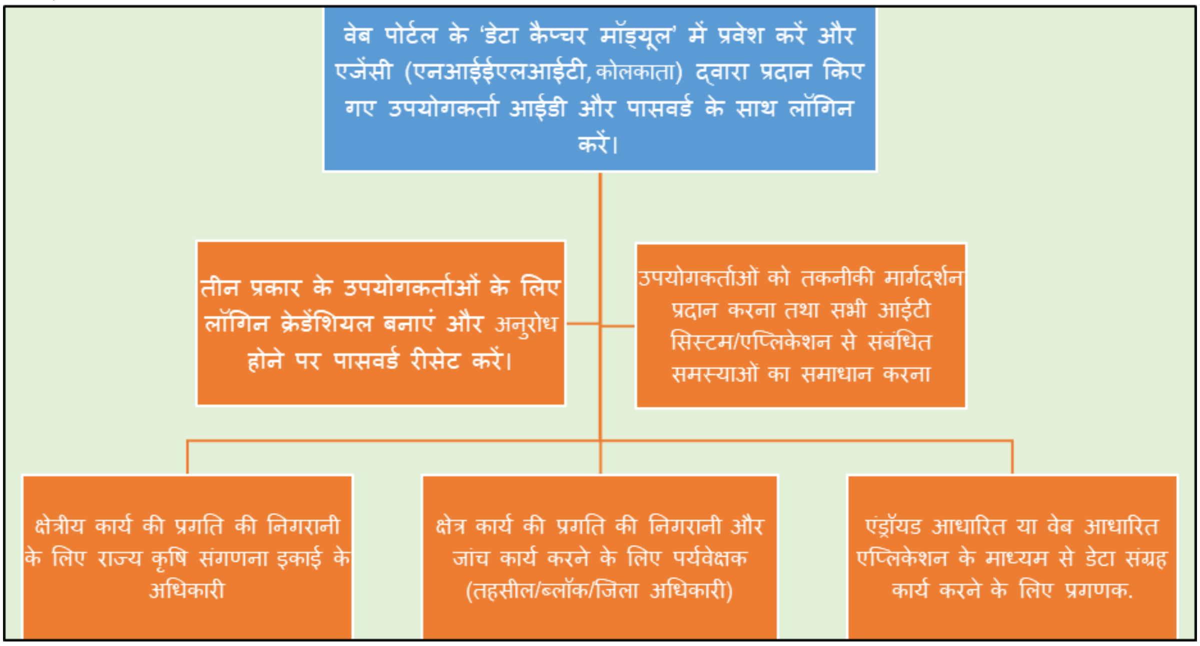

16.2 पर्यवेक्षक के लिए

16.3 **प्रगणक के लिए**

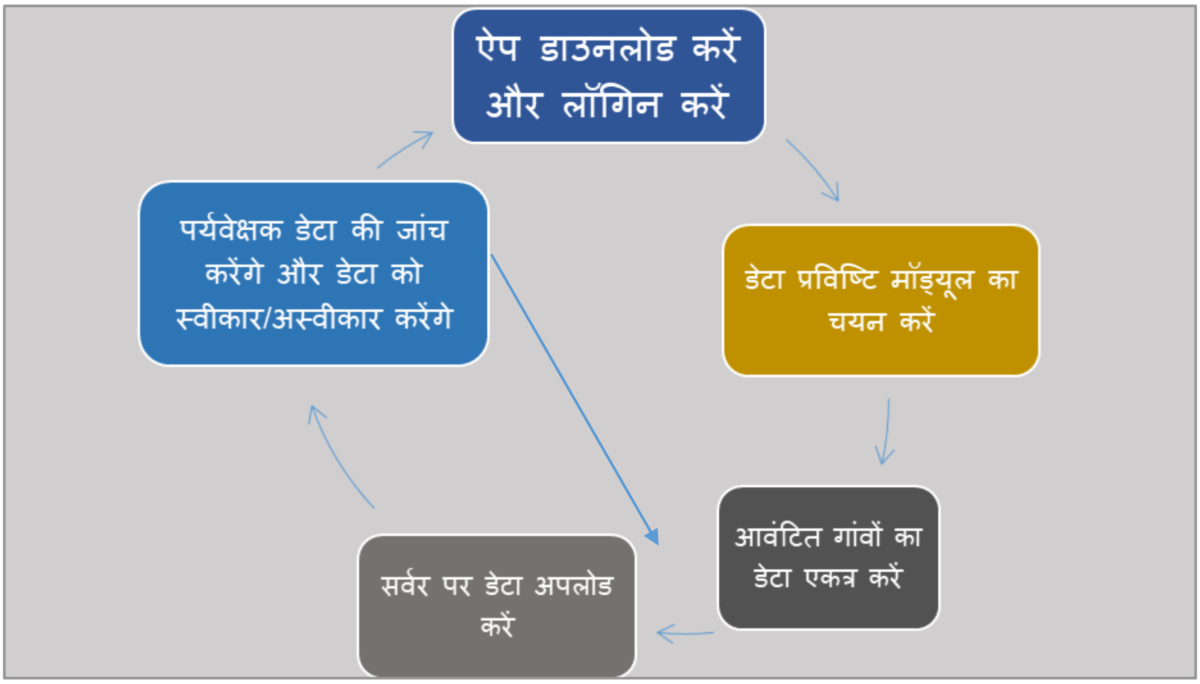

17 कृषि संगणना पोर्टल तक पहुंच संबंधी निर्देश:

17.1 कृषि संगणना 2021-22 वेब पोर्टल तक पहुँचने के लिए, वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में 'http: //agcensus.gov.in' टाइप करें या वैकल्पिक रूप से Google जैसे सर्च इंजन से 'agcensus.gov.in' खोजें और लिंक पर क्लिक करें। कृषि संगणना 2021-22 वेब पोर्टल का लिंक 'http: //agcensus.nic.in' पर भी उपलब्ध है। कृषि संगणना का निम्न होम पेज खुलेगा

17.2 होमपेज पर डैशबोर्ड, डेटा कैप्चर और रिपोर्ट और उपयोगी दस्तावेज़ के विकल्प होंगे। डेटा कैप्चर विकल्प में लॉग इन करने के बाद ही फील्ड वर्क शुरू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। डैशबोर्ड के तहत, कोई भी व्यक्ति विभिन्न स्तरों पर काम की प्रगति को देख और मॉनिटर कर सकता है। निर्देशों की पुस्तिका, प्रशिक्षण वीडियो और परिचालन दिशा-निर्देश जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ 'उपयोगी दस्तावेज़' के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

18. उपयोगकर्ताओं के लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने हेतु सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए निर्देश:

18.1 विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल केवल वेब आधारित एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किए जाएंगे जिसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। वेब पोर्टल के डेटा कैप्चर मॉड्यूल में प्रवेश करने के लिए, आपको एक पंजीकृत उपयोगकर्ता होने की आवश्यकता है। सबसे पहले, एजेंसी (एनआईईएलआईटी, कोलकाता) राज्य के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को उन सभी कर्मियों के लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने का विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए अधिकृत करेगी जो राज्य में कृषि संगणना कार्य करने में शामिल होंगे। सामान्य तौर पर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को तीन प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने की आवश्यकता होगी:

18.1.1 क्षेत्र कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए राज्य कृषि संगणना इकाई के अधिकारी.

18.1.2 क्षेत्र कार्य की प्रगति की निगरानी और संवीक्षा कार्य शुरू करने के लिए पर्यवेक्षकों (तहसील (उप-जिला)/ब्लॉक/जिला अधिकारी) । कभी-कभी, उन्हें उनके अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले प्राथमिक कर्मचारियों के लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका भी सौंपी जा सकती है।

18.1.3 एंड्रॉइड आधारित या वेब आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से डेटा संग्रह कार्य करने के लिए एन्यूमरेटर्स।

18.2 आरंभ करने के लिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पहले वेब पोर्टल के 'डेटा कैप्चर मॉड्यूल' में प्रवेश करेगा और एजेंसी (एनआईईएलआईटी, कोलकाता) द्वारा प्रदान किए गए यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करेगा जिससे विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए मुख्य मेनू पृष्ठ शुरू होगा। उनकी सौंपी गई जिम्मेदारियों को प्रदर्शित किया जाएगा। यहां, केवल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास उपयोगकर्ताओं के लॉगिन क्रेडेंशियल को रीसेट करने का अधिकार होगा और किसी भी उपयोगकर्ता के अनुरोध पर इसे रीसेट या फिर से बनाया जाएगा। तथापि, राज्य में प्रचलित प्रशासनिक प्रणाली के आधार पर, सिस्टम प्रशासक पर्यवेक्षकों (तहसील (उप-जिला)/ब्लॉक/जिला स्तर के अधिकारियों को प्रगणकों (प्राथमिक कार्यकर्ता) के लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने की जिम्मेदारी भी सौंप सकता है।

18.3 **विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल बनाने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका निम्नानुसार है:**

इस गतिविधि को शुरू करने से पहले, उपयोगकर्ताओं के नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर आदि जैसी जानकारी की आवश्यकता होती है और इसलिए इसे एकत्र करने की आवश्यकता होती है। विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल बनाने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका इस प्रकार है:

- **सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा:**

18.3.1 **राज्य अधिकारी:** यूजर क्रिएशन विकल्प पर जाएं और चरण- II के लिए सभी आवश्यक फ़ील्ड जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल-आईडी आदि भरकर राज्य अधिकारियों के लॉगिन क्रेडेंशियल बनाएं।

18.3.2 **पर्यवेक्षक (तहसील (उप-जिला)/ब्लॉक/जिला अधिकारी):**

सेटअप विकल्प के तहत यूजर क्रिएशन पर जाएं और क्षेत्राधिकार क्षेत्र जैसे जिला, तहसील (उप-जिला) और गांव को निर्दिष्ट करके और पर्यवेक्षकों के नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल-आईडी आदि जैसे सभी आवश्यक क्षेत्रों को भरकर चरण-II के लिए **पर्यवेक्षकों** के लॉगिन क्रेडेंशियल बनाएं। ।

➢ **पर्यवेक्षक/सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा**:

18.3.3 **एन्यूमरेटर्स**: यदि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा पर्यवेक्षकों को एन्यूमरेटर्स के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने की भूमिका भी सौंपी जाती है, तो उन्हें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा प्रदान किए गए यूजर_आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा और निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
एन्यूमरेटर क्रिएशन विकल्प पर जाएं और एंड्रॉइड आधारित या वेब आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से डेटा संग्रह शुरू करने के मोड के विकल्प को चुनकर चरण- *II* के लिए एन्यूमरेटर्स के लॉगिन क्रेडेंशियल बनाएं और डेटा संग्रह शुरू करने के लिए जिला, तहसील (उप-जिला) और गांवों जैसे क्षेत्राधिकार क्षेत्र आवंटित करें तथा अंत में नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल-आईडी इत्यादि जैसे एन्यूमरेटर्स क्रेडेंशियल भरें। यहां, एक बार चुने गए डेटा संग्रह के तरीके को केवल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर (या पर्यवेक्षक) द्वारा एन्यूमरेटर्स के अनुरोध पर बदला जा सकता है।

19. पर्यवेक्षक को संवीक्षा कार्य करने के निर्देश:

19.1 सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा प्रदान किए गए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। इस मुख्य मेनू पृष्ठ के माध्यम से, पर्यवेक्षक पहले 'चरण- II' मेनू पर जाएगा और फिर 'डेटा की संवीक्षा' विकल्प चुनें जिससे चरण- II अनुसूची के संवीक्षा कार्य को करने के लिए एक पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा। उस गाँव का चयन करें जिसके लिए संवीक्षा कार्य किया जाना है और एकत्रित आंकड़ों के साथ-साथ अनुसूची को भी देखें।

19.2 संवीक्षा के बाद, पर्यवेक्षक एकत्र किए गए डेटा की गुणवत्ता के आधार पर अनुसूची को या तो स्वीकार या अस्वीकार करेगा। अस्वीकृत अनुसूची को सुधार के लिए संबंधित प्राथमिक कार्यकर्ता को वापस भेज दिया जाएगा और गणनाकर्ता द्वारा आवश्यक सुधार के बाद संवीक्षा के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। अस्वीकृत अनुसूचियों पर पर्यवेक्षक को अस्वीकृति का कारण बताना चाहिए ताकि संबंधित प्राथमिक कार्यकर्ता आसानी से गलत डेटा को सुधारने में सक्षम हो सके। भावी प्रक्रिया के लिए केवल स्वीकृत और सत्यापित डेटा केंद्रीय सर्वर पर उपलब्ध कराया जाएगा। संवीक्षा के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए कि क्या:

i. गांव के सभी सर्वे नंबर/क्षेत्र का हिसाब रख लिया गया है।
ii. परिचालन धारक के स्वामित्व/परिचालन के सभी सर्वेक्षण नंबर/क्षेत्र को कवर कर लिया गया है या कोई चूक देखी गई है। साथ ही यह भी जांचा जाना चाहिए कि गांव में सभी जोत सूचीबद्ध हैं या नहीं।
iii. संचालन जोत का हिस्सा बनने वाले प्रत्येक सर्वेक्षण संख्या के संबंध में दिए गए क्षेत्र के आंकड़े मूल ग्राम रूप से सही ढंग से दर्ज किए गए हैं।
iv. म्यूटेशन सहित अप टू डेट भूमि अभिलेखों का उपयोग संदर्भ वर्ष के लिए किया गया है।
v. भिन्नों को व्यक्त करने के लिए क्षेत्र इकाई और प्रणाली के उपयोग के निर्देश का पालन किया गया है।
vi. सही फसल कोड का उपयोग/भरा/चुना गया है।
vii. क्या भूमि उपयोग, फसल पैटर्न, सिंचाई आदि के संबंध में प्रविष्टियों का पुनः सारणीकरण सही ढंग से किया गया है।
viii. एच- अनुसूचियों के सभी क्षेत्रों को ठीक से भरा गया है।
ix. अनुसूचियों में दिए गए आंकड़े सुसंगत हैं।

20. प्रगणकों को निर्देश:

20.1 कृषि जनगणना 2021-22 में, भूमि रिकॉर्ड वाले राज्यों के लिए, चयनित गांवों (चरण-I डेटाबेस से प्राप्त) के प्रत्येक सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्या (या जोत) के सम्मुख भूमि उपयोग और फसल पैटर्न का विवरण अद्यतन खसरा या फसल रजिस्टर से भरा जाना चाहिए। गैर-भूमि रिकॉर्ड वाले राज्यों में जहां खसरा या फसल रजिस्टर उपलब्ध है, भूमि उपयोग भरने की प्रक्रिया भूमि रिकॉर्ड वाले राज्यों में अपनाई गई प्रक्रिया के समान होगी।

23.2 उन राज्यों (विशेषकर कुछ पूर्वोत्तर राज्यों) में जहां कोई भूमि रिकॉर्ड प्रणाली नहीं है, (कोई खाता संख्या/सर्वेक्षण संख्या नहीं) ऐप/साफ्टवेयर में इसे रिकॉर्ड करना एक चुनौती होगी। इस मामले में, प्राथमिक कार्यकर्ता को चयनित गांवों के लिए चरण-I डेटाबेस से प्राप्त प्रत्येक सर्वेक्षण संख्या (या जोत) के सम्मुख भूमि उपयोग और फसल पैटर्न पर घरेलू जांच के माध्यम से अपेक्षित जानकारी रिकार्ड में रखनी चाहिए।

20.3 एन्यूमरेटर्स द्वारा डेटा संग्रह के लिए गतिविधियों का क्रम निम्नानुसार है:

i. मोबाइल/टैबलेट में गूगल प्ले स्टोर से एप डाउनलोड करें।
ii. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा प्रदान किए गए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ऐप्स का होम पेज खोलें।
iii. होम पेज से 'डेटा एंट्री' विकल्प चुनें। जाँच करें कि क्या चरण-I डेटा ऐप्स में पहले से भरा हुआ है। यदि नहीं, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से संपर्क करें।।
iv. निर्देशों के अनुसार डेटा एकत्र करें और हमेशा सेव बटन पर क्लिक करके एकत्रित डेटा को सेव करें।
v. होम पेज पर उपलब्ध विकल्प से सेव किए गए डेटा को सर्वर पर अपलोड करें। प्राथमिक कार्यकर्ता को दैनिक आधार पर, यदि संभव हो, सहेजे गए डेटा को अपलोड करना सुनिश्चित करना चाहिए।
vi. होम पेज पर उपलब्ध विकल्प से पर्यवेक्षक की फीडबैक रिपोर्ट देखें और शेड्यूल में सुधार, यदि कोई हो, करें और डेटा को फिर से सर्वर पर अपलोड करके फिर से सबमिट करें।
vii. अपने किसी भी प्रश्न के लिए 'हेल्प' डेस्क फोरम का प्रयोग करें। उसी पर स्पष्टीकरण भी उसी पृष्ठ पर देखे जा सकते हैं।
viii. हैंड-हेल्ड डिवाइस पर एकत्रित डेटा का बैकअप विकल्प बाद में वेब आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से सर्वर पर अपलोड करने के लिए भी उपलब्ध है।

20.4 ऐप डाउनलोड करने और डेटा एंट्री मॉड्यूल में लॉग इन करने और एक्सेस करने के लिए चरण दर चरण निर्देश

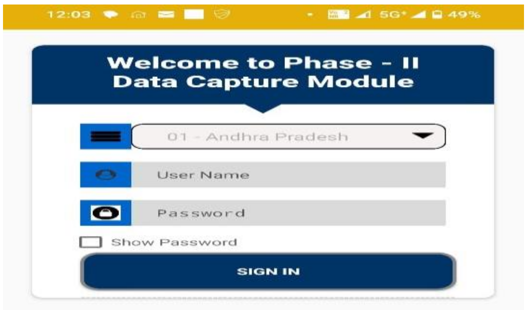

20.4.1 **एन्यूमरेटर (प्राथमिक कार्यकर्ता) का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम ऐप के "एग्री 2122 (चरण- II)" नाम की खोज करके गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल/टैबलेट में ऐप डाउनलोड करना है। ऐप को सफलतापूर्वक डाउनलोड करने के बाद, ऐप को खोलें और फिर एडमिनिस्ट्रेटर/पर्यवेक्षक द्वारा प्रदान किए गए अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। ऐप में लॉगिन पेज नीचे दिखाया गया है:**

सफल लॉगिन के बाद, चार विकल्पों के साथ एक नई स्क्रीन दिखाई देगी जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

20.4.2 पहला विकल्प "डेटा एंट्री" का उपयोग शेड्यूल को दर्ज करने / रिकॉर्ड करने के लिए किया जाएगा जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरे

विकल्प "सर्वर पर डेटा अपलोड करें" का उपयोग पर्यवेक्षकों द्वारा आगे की संवीक्षा के लिए एकत्रित डेटा को सर्वर पर अपलोड किया जाएगा। प्राथमिक कार्यकर्ता को नियमित रूप से भरे हुए डेटा को दैनिक आधार पर सर्वर पर अपलोड करना होता है।

ऐप में प्राथमिक कार्यकर्ता को पॉप-अप संदेशों के रूप में सर्वर पर डेटा अपलोड करने के लिए याद दिलाने की सुविधा भी होगी।तीसरा विकल्प "सुपरवाइजर का फीडबैक डाउनलोड करें" का उपयोग पर्यवेक्षक द्वारा सर्वर से दिए गए फीडबैक को रीफ्रेश करने और प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। अंतिम चौथे विकल्प "फीडबैक रिपोर्ट" का उपयोग पर्यवेक्षक की फीडबैक रिपोर्ट देखने के लिए किया जाएगा।

21. अनुसूचियाँ भरने के लिए प्राइमरी वर्कर्स को निर्देश

21.1 वर्तमान कृषि जनगणना 2021-22 में अनुसूची-एच का प्रारूप कुछ परिवर्तनों को छोड़कर पिछली जनगणना के समान ही रखा गया है। संशोधित प्रारूप **अनुबंध-I** में देखा जा सकता है। टीआरएस (भूमि अभिलेख राज्यों के लिए) और ईएआरएएस (गैर-भूमि अभिलेख राज्यों) के तहत पहले से ही चयनित 20% चयनति गांवों के सभी निवासी कृषकों के लिए अनुसूची भरी जानी है। भूमि अभिलेख राज्यों में प्रत्येक सर्वेक्षण संख्या/जोत और गैर-भूमि अभिलेख राज्यों में घरेलू जांच के लिए जोतों की प्रमुख विशेषताओं, जैसे संचालित क्षेत्र की स्थिति, भूमि उपयोग और उगाई जाने वाली फसलों का विवरण अभिलेखों से एकत्र किया जाएगा, चाहे वह निवास के गांव में स्थित हो या उसी तहसील के भीतर अन्य गांवों में, विशेष परिचालन धारक द्वारा संचालित हो।

21.2 यदि निवासी परिचालन धारक चयनति गांव के बाहर कुछ भूमि का संचालन कर रहा है, तो सभी विशेषताओं के लिए ऐसी भूमि का विवरण अनुसूचियों को दाखिल करने के लिए उस गांव के संबंधित प्राथमिक कार्यकर्ता (या पटवारी) से (या तो टेलीफोन कॉल के माध्यम से या गांव का दौरा करके) प्राप्त करना होगा। **इसलिए, चयनति गांवों के लिए प्राथमिक कार्यकर्ता चयनित गांवों के साथ-साथ उसी तहसील के भीतर अन्य गांवों में भूमि (चयनित गांवों के निवासी परिचालन धारकों द्वारा संचालित) के लिए गुणवत्ता डेटा एकत्र करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।**

21.3 कुछ गैर-निवासी परिचालन धारक हो सकते हैं जो चयनि त गांव में कुछ भूमि का संचालन कर रहे हैं, लेकिन तहसील के बाहर रह रहे हैं। ऐसे गैर-निवासी परिचालन धारकों को इस तरह से माना जाएगा जैसे कि वे गांव में रह रहे हैं (डीम्ड कल्टीवेटर्स) और उनकी जोत को गांव के आंकड़ों में जोड़ा जाएगा।

21.4 अनुसूची-एच को निम्नलिखित चार ब्लॉकों में विभाजित किया गया है:

क्र.स	**ब्लाक का नाम**	**विवरण**
1.	ब्लाक ए	पहचान विवरण
2.	ब्लाक बी	परिचालन धारक का विवरण (केवल निवासी धारकों के लिए)
3.	ब्लाक सी	भूमि उपयोग
4.	ब्लाक डी 1	संदर्भ वर्ष के दौरान उगाई गई फसलों की संख्या
5.	ब्लाक डी 2	फसलवार क्षेत्र

ब्लॉक ए: पहचान ब्लॉक:

मुख्य मेनू पृष्ठ पर 'डेटा प्रविष्टि' विकल्प पर क्लिक करने के बाद, प्रगणक डेटा संग्रह स्क्रीन में प्रवेश करेगा

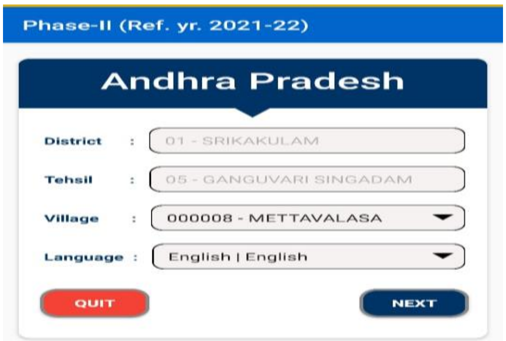

21.5 इस ब्लॉक में, गणनाकार को अनुसूची भरने के लिए ड्रॉप डाउन सूची से पसंदीदा भाषा और आवंटित गांवों का चयन करना होगा। यदि आवंटित गांव प्रदर्शित नहीं होता है, तो गणनाकार पर्यवेक्षक या सिस्टम प्रशासक से संपर्क कर सकता है।

21.6 आवंटित गांव का चयन करने के बाद, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी में जाने से पहले राज्य, जिला, तहसील, गांव और क्षेत्र इकाई के नाम सहित पूर्व-भरे हुए फ़ील्ड प्रदर्शित करेगा।

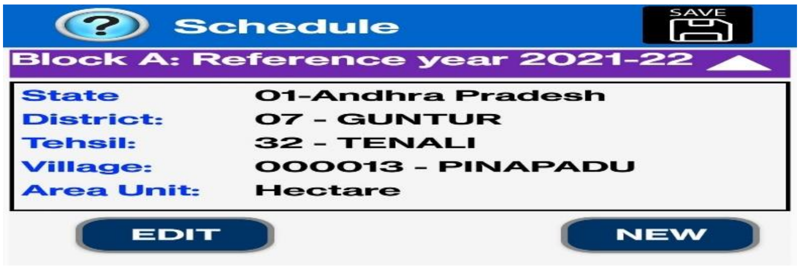

ब्लॉक बी: परिचालन धारक का विवरण

21.7 ब्लॉक-बी में विवरण भरने से पहले प्रगणकों को **चरण-II के लिए अनुसूची भरने के लिए** दो विकल्पों में से एक का चयन करना होगा, **अर्थात् सर्वेक्षण संख्यावार या होल्डिंगवार**:

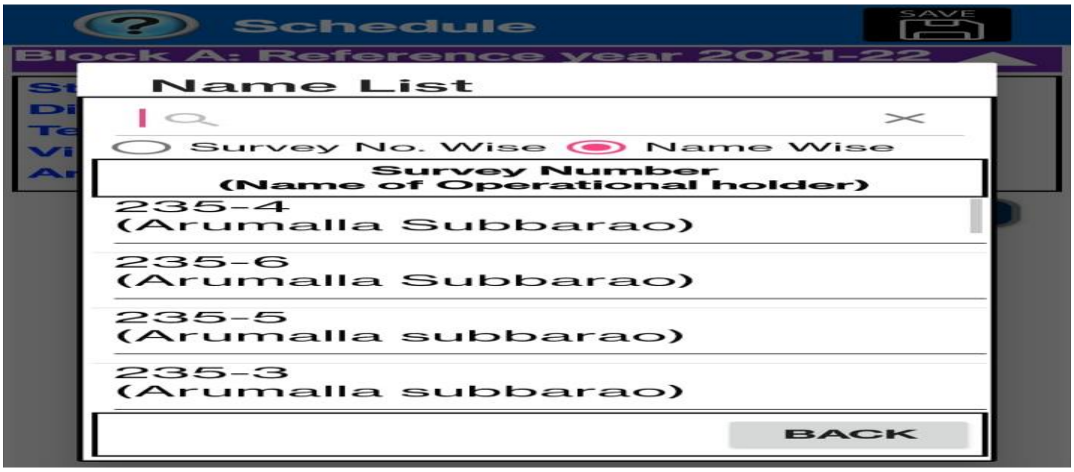

21.8 इस ब्लॉक में, चयनित गांव के निवासी परिचालन धारकों के विवरण जैसे परिचालन धारक द्वारा संचालित सर्वेक्षण संख्या, नाम और पिता/पति का नाम, सामाजिक समूह और क्षेत्र का विस्तार पहले से भरे हुए उपलब्ध होंगे, जिन्हें चरण-I डेटाबेस से निकाला गया है। गणनाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि चरण-I से निकाले गए डेटा उपलब्ध रिकॉर्ड से मेल खाते हैं।

मद 2: सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्या (चरण-I की सूची के अनुसार)

21.8.1 चरण-I में संकलित जानकारी के आधार पर चयनित गांव के परिचालन धारक के कुल संचालित क्षेत्र का गठन करने वाले सभी सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्याओं की जानकारी पहले से भरी हुई उपलब्ध होगी। यह जांचने के लिए आवश्यक है कि क्या इस अनुसूची के लिए सभी सर्वेक्षण संख्याओं के डेटा पर विचार किया गया है।

मद 2(i): क्रमांक: क्रमांक चयनित गांव के परिचालन धारक (यदि जोत के अनुसार विकल्प चुना गया है) या सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्याओं (यदि सर्वेक्षण संख्या के अनुसार विकल्प चुना गया है) की संख्या के क्रम को दर्शाता है। इसलिए, 1 से शुरू होकर जोतों/सर्वेक्षण संख्या की कुल संख्या तक चलने वाली क्रमांक संख्या यहाँ दर्ज की जानी चाहिए और यह सिस्टम द्वारा स्वतः ही जनरेट हो

जाएगी। **मद 3(i) से 3(iv): परिचालन धारक का नाम, पिता/पति का नाम, सामाजिक समूह और क्षेत्र विस्तार**

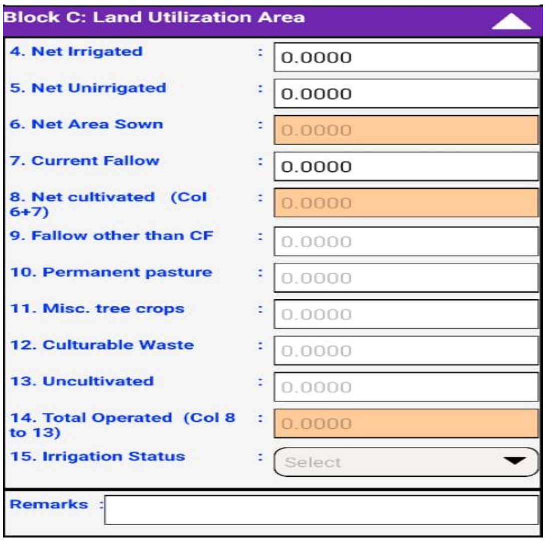

21.8.2 परिचालन धारक की सर्वेक्षण संख्या के विरुद्ध नाम और पिता/पति का नाम, सामाजिक समूह (एससी/एसटी/अन्य/संस्थागत) और क्षेत्र का विस्तार पहले से भरे हुए रूप में उपलब्ध होगा, जो चरण-I डेटाबेस से निकाला जाएगा।

मद 3(vi): संचालन स्थिति (पूर्णतः संचालित/आंशिक रूप से संचालित)

21.8.3 प्रगणक को सर्वेक्षण संख्या या संचालित क्षेत्र के विरुद्ध भूमि के संचालन की स्थिति के संबंध में ड्रॉप डाउन सूची से विकल्प चुनना होगा अर्थात पूर्णतः संचालित और आंशिक रूप से संचालित के लिए क्रमशः कोड 1 और 2 का उपयोग करके।

21.8.4 यदि परिचालन धारक द्वारा कृषि उत्पादन उद्देश्यों के लिए संदर्भ वर्ष में एक बार संबंधित सर्वेक्षण संख्या की भूमि के पूरे विस्तार का उपयोग किया गया है तो उसे **पूर्ण रूप से संचालित** माना जाएगा और यदि परिचालन धारक द्वारा कृषि उत्पादन उद्देश्यों के लिए संदर्भ वर्ष में एक बार संबंधित सर्वेक्षण संख्या या होल्डिंग्स की भूमि के कुछ हिस्से का उपयोग किया गया है तो उसे **आंशिक रूप से संचालित** माना जाएगा। यदि परिचालन धारक द्वारा कृषि उत्पादन उद्देश्यों के लिए संदर्भ वर्ष में एक बार संबंधित सर्वेक्षण संख्या की भूमि के पूरा विस्तार का उपयोग नहीं किया गया है तो इसे '**संचालित नहीं**' माना जाएगा, जिसे ड्रॉप डाउन सूची में नहीं दिखाया जाएगा।

ब्लॉक ग: भूमि उपयोग क्षेत्र

मद 4 से 14:

क्र. सं.	**वर्गीकरण**
1	निवल बुआई क्षेत्र
2	वर्तमान परती
3	वर्तमान परती भूमि के अलावा परती भूमि
4	स्थायी चारागाह और अन्य चारागाह
5	विविध वृक्ष फसलों और उपवनों के अंतर्गत भूमि, निवल बुआई क्षेत्र में शामिल नहीं है।
6	कृषि योग्य अपशिष्ट
कृषि के लिए उपलब्ध नहीं या बिना कृषि वाली भूमि (क्र.सं. 7+8+9)	
7	वन
8	गैर-कृषि उपयोग हेतु प्रयुक्त क्षेत्र
9	बंजर एवं अनुपजाऊ भूमि

21.9 कृषि संगणना के प्रयोजनार्थ, परिचालन धारक से संबंधित संचालित क्षेत्र का नौ-स्तरीय वर्गीकरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

कृपया **अनुसूची** के इन स्तंभों में जानकारी भरने से पहले विस्तृत अवधारणाओं और परिभाषाओं के लिए **अनुबंध-II (धारा 9)** देखें।

21.10 **आवंटित गांवों के प्राथमिक कार्यकर्ता, उसी तहसील के अन्य गांवों में भूमि (चयनित गांवों के निवासी परिचालन धारकों द्वारा संचालित) के आंकड़े एकत्र करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।**

21.11 *यदि ब्लॉक ख के कॉलम 3(**vi**) में कोड-1 भरा गया है (अर्थात भूमि की संचालन स्थिति पूर्णतः संचालित है) तो ब्लॉक ग में केवल कॉलम 4 या 5 या 7 या इनमें से सभी कॉलम भरे जाने चाहिए और यदि ब्लॉक ख के कॉलम 3(**vi**) में कोड-2 भरा गया है (अर्थात भूमि की संचालन स्थिति आंशिक रूप से संचालित है) तो संचालित भूमि के उपयोग के आधार पर कॉलम 4 से 13 तक कोई भी या सभी कॉलम ब्लॉक ग में भरे जाने चाहिए।*

21.12 **'निवल बुआई क्षेत्र'**, निवल क्षेत्र के **सिंचित** और **असिंचित** हिस्से का योग है। निवल बुआई क्षेत्र का वह हिस्सा, जिसे संदर्भ अवधि के दौरान सिंचाई मिली है, उसे निवल सिंचित क्षेत्र के रूप में दर्शाया जा सकता है। अन्यथा, यदि संदर्भ वर्ष के दौरान निवल बुआई क्षेत्र को कोई सिंचाई नहीं मिली है तो पूरे क्षेत्र को **निवल असिंचित** माना जाएगा। दूसरे मामले में (जोत के अनुसार), उदाहरण के लिए, अगर एक जोत में दो अलग-अलग पार्सल/प्लॉट हैं, जिनमें से एक को सिंचाई मिली है और दूसरे को नहीं तो सिंचाई प्राप्त करने वाले प्लॉट का निवल क्षेत्र, निवल सिंचित क्षेत्र होगा और दूसरे प्लॉट का निवल क्षेत्र, जिसे सिंचाई नहीं मिली है, निवल असिंचित क्षेत्र होगा।

मद *15:* सिंचाई की स्थिति

21.13 उसी ब्लॉक के मद 4 से 14 के अंतर्गत, भूमि उपयोग के बारे में गणनाकर्ता द्वारा भरी गई जानकारी के आधार पर सिंचाई की स्थिति सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वतः भर दी जाएगी। सिंचाई की स्थिति के लिए विकल्प नीचे दिया गया है:

सिंचाई की स्थिति	**कोड संख्या**
पूर्णतः सिंचित	1
पूर्णतः असिंचित	2
आंशिक रूप से सिंचित	3
पूर्णतः वर्तमान परती	4

सिंचाई की स्थिति का निर्णय संदर्भ वर्ष 2021-22 में सिंचाई की उपलब्धता के आधार पर और **अनुबंध-II के अनुच्छेद 8.1** में स्पष्ट की गई परिभाषा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यदि निवल बुआई क्षेत्र, निवल सिंचित क्षेत्र के बराबर है तो ऐसी जोत को **पूर्णतः सिंचित** जोत माना जाएगा। यदि निवल बुआई क्षेत्र का कुछ भाग सिंचित है तो वह **आंशिक रूप से सिंचित** होगा; और यदि निवल बुआई क्षेत्र को वर्ष के दौरान कोई सिंचाई नहीं मिली है तो ऐसी जोत पूरी तरह से असिंचित होगी। यदि पूरा फसली क्षेत्र चालू वर्ष 2021-22 के दौरान परती रखा गया है लेकिन पिछले वर्ष 2020-21 के दौरान उस पर खेती की गई थी तो ऐसी जोत को उसकी सिंचाई स्थिति के आधार पर कोड संख्या 4 **(पूरी तरह से चालू परती)** प्रदान की जाएगी।

ब्लॉक डी*1:* संदर्भ वर्ष के दौरान उगाई गई फसलों की संख्या

प्रगणक को संदर्भ वर्ष के दौरान परिचालन धारक द्वारा भूमि की सीमा पर उगाई गई फसलों की कुल संख्या भरनी चाहिए।

ब्लॉक डी2: *फसलवार क्षेत्र*

यह ब्लॉक कृषि वर्ष 2021-22 की संपूर्ण अवधि के दौरान उगाई गई फसलों के सिंचित और असिंचित क्षेत्र के प्रतिवेदन को संदर्भित करता है।

मद i: क्रम संख्या

21.14 क्रम संख्या, ऑपरेटर धारक द्वारा उगाई गई कुल फसलों में से फसलों के क्रम को दर्शाता है इसलिए ब्लॉक डी1 में दर्ज की गई फसलों की संख्या 1 से शुरू होकर इस क्षेत्र में दर्ज की जानी चाहिए।

मद ii: फसल का कोड और नाम

21.15 गणनाकर्ता को मद संख्या 1 में दर्ज संगत क्रम संख्या के सामने उगाई गई प्रत्येक फसल का नाम और कोड दर्ज करना चाहिए। फसल कोड सहित फसलों की सूची **अनुबंध-III** पर दी गई है।

मद *iii* और *iv*: सिंचित और असिंचित

21.16 मद ii के सामने दर्ज फसल के नाम के लिए क्रमशः सकल सिंचित और असिंचित क्षेत्रफल दर्ज करें।

मद *16, 17* और *18*: मद *ii* के सामने दर्ज फसल के नाम के लिए क्रमशः सकल सिंचित और असिंचित क्षेत्रफल दर्ज करें।

21.17 ये मद ब्लॉक डी1 में दर्ज सभी फसलों के लिए सिंचित और असिंचित सकल फसली क्षेत्र को दर्शाते हैं। सकल सिंचित क्षेत्र (मद-16) और सकल असिंचित क्षेत्र (मद-17) का योग सकल फसली क्षेत्र (मद-18) के बराबर होना चाहिए, जिसकी गणना स्वचालित रूप से की जाती है और ऐप्स/सॉफ्टवेयर में शामिल की जाती है।

मद *19*: सिंचाई का स्रोत

21.18 सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलों के लिए सिंचाई के प्रमुख स्रोत के बारे में जानकारी उपलब्ध ड्रॉप-डाउन विकल्प के माध्यम से इस फ़ील्ड में दर्ज की जानी चाहिए। नहरों के लिए कोड-1, कुओं के लिए कोड-2, ट्यूबवेल के लिए कोड-3, टैंकों के लिए कोड-4, अन्य के लिए कोड-5 चुनें। यदि पूरा क्षेत्र असिंचित है तो यह फ़ील्ड अक्षम हो जाएगी।

मद 20: टिप्पणियां

21.19 इस टिप्पणी क्षेत्र के अंतर्गत, प्रगणक यदि आवश्यक हो तो डेटा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत डेटा की पुष्टि करने के लिए कोई अतिरिक्त जानकारी भी रिकॉर्ड कर सकता है।

21.20 एकरूपता बनाए रखने के लिए, भारत सरकार द्वारा विभिन्न फसलों के लिए कोड संख्याएं मानकीकृत की गई हैं। ये

कोड, **अनुबंध-*III*** पर 'फसलों की सूची' के अंतर्गत दिए गए हैं। ये कोड, फसलों के निम्नलिखित व्यापक वर्गीकरण का अनुसरण करते हैं *:-*

i. *खाद्य फसलें:- इनमें खाद्यान्न, चीनी फसलें, मसाले, फल, सब्जियां शामिल हैं।*
ii. *खाद्यान्न:- इनमें अनाज और दालें शामिल हैं।*
iii. *गैर-खाद्य फसलें:- इनमें तिलहन, रेशे, डाई और टैनिंग सामग्री, दवाएं और नशीले पदार्थ, बागान फसलें, चारा फसलें, हरी खाद फसलें, पुष्प फसलें, सुगंधित और औषधीय पौधे तथा अन्य गैर-खाद्य फसलें शामिल हैं।*
iv. *कुल सकल फसल क्षेत्र:- इसमें खाद्य फसलों और गैर-खाद्य फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र शामिल हैं।*

खंड – ग
अनुबंध

अनुबंध-I

कृषि संगणना 2021-22 (चरण-II)

होल्डिंग अनुसूची 'ज': परिचालन होल्डिंग पर विस्तृत डेटा

क. पहचान का विवरण:

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र : ☐☐
2. जिला : ☐☐
3. तहसील : ☐☐
4. ब्लॉक : ☐☐
5. ग्राम : ☐☐☐☐☐☐
6. पटवारी का नाम :

7. क्षेत्र इकाई : हेक्टेयर/एकड़/अन्य (निर्दिष्ट करें)

ख. परिचालन धारक का विवरण (केवल निवासी धारकों के लिए)							**परिचालित स्थिति**
क्र. सं.	सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्या (चरण-I की सूची के अनुसार)	परिचालन धारक का नाम	परिचालन धारक के पिता का नाम	सामाजिक समूह (एससी-1, एसटी-2, अन्य-3, संस्थागत-9)	क्षेत्र का विस्तार (चरण-I के अनुसार)	आकार वर्ग (कोड: 1-14)	पूर्ण रूप से परिचालित-1 आंशिक रूप से संचालित-2 अप्रयुक्त-3
1	2	3 (i)	3 (ii)	3 (iii)	3 (iv)	3 (v)	3(vi)
1 2 3 …							
	कुल						

टिप्पणी: *(1)* कॉलम 2(*v*) के लिए आकार वर्ग कोड निम्नानुसार प्रतिवेदित किया जा सकता है

1-0.10 हेक्टेयर से कम	2-0.10 से <0.20 हेक्टेयर	3-0.20 से <0.30 हेक्टेयर	4-0.30 से <0.40 हेक्टेयर
5 -0.40 से <0.50 हेक्टेयर	6-0.50 से <1.00 हेक्टेयर	7-1.00 से <2.00 हेक्टेयर	8-2.00 से <3.00 हेक्टेयर
9-3.00 से <4.00 हेक्टेयर	10-4.00 से <5.00 हेक्टेयर	11-5.00 से <7.50 हेक्टेयर	12-7.50 से < 10.00 हेक्टेयर
13-10.00 से <20.00 हेक्टेयर		14-20.00 हेक्टेयर और उससे अधिक	

*(2) यदि कॉलम 3(**vi**) में कोड 3 है तो आगे की जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है (शेष ब्लॉक अक्षम हो जाएंगे)।*

		ग.भूमि उपयोग										
		निवल बुवाई क्षेत्र										
क्रम सं.	सर्वेक्षण/उप-सर्वेक्षण संख्या (चरण-I की सूची के अनुसार)	निवल सिंचित क्षेत्र	निवल असिंचित क्षेत्र	कुल (कॉलम4+5)	वर्तमान परती भूमि	शुद्ध खेती वाला क्षेत्र (कॉलम 6 +7)	वर्तमान परती भूमि के अलावा अन्य परती भूमि	स्थायी चारागाह और अन्य चरागाह	विविध वृक्षफसलें और उपवन के अंतर्गत भूमि जो निवल बोए गए क्षेत्रफल में शामिल नहीं हैं	खेती योग्य बंजर भूमि	खेती के लिए अनुपलब्ध भूमि (निम्न के अंतर्गत क्षेत्र: i.वन , ii. गैर-कृषि, iii. बंजर)	कुल प्रचालन क्षेत्र (कॉलम 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	१३	14
1 2 3 …												
	कुल											

***नोट** : (i)- ब्लॉक बी के कॉलम 3(vi) में कोड-1 के मामले में, कॉलम 4,5 और 6 ब्लॉक सी में भरे जाएंगे।*
***(ii)** ब्लॉक बी के कॉलम 3(vi) में कोड-3 के मामले में, कॉलम 9 से 13 को ब्लॉक सी में भरा जाएगा*

घ 1. संदर्भ वर्ष के दौरान उगाई गई फसलों की संख्या:																
घ 2.फसलवार क्षेत्रफल (यदि कॉलम बी के कॉलम 3(vi) में कोड-1, 2 है) (संपूर्ण संदर्भ वर्ष 2021-22 के दौरान)																
	फसल-I:			फसल-II:			फसल-III:			फसल-IV:			ऑलक्रॉप्स **				
क्रम सं.	फसल कोड	सिंचित	असिंचित	फसल कोड	सिंचित	असिंचित	फसल कोड	सिंचित	असिंचित	फसल कोड	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	कुल(कलम 27 + 28)	सिंचाई स्थिति (सिंचित-1, असिंचित-2)	सिंचाई का स्रोत
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	३१
1 2 3 …																	
कुल																	

नोट :

क) फसल सीजन/उप-सीजन/बुवाई के किसी भी चरण के अंतर्गत क्षेत्र निवल बुवाई क्षेत्र से अधिक नहीं होना चाहिए , इसी प्रकार फसल सीजन के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र निवल सिंचित क्षेत्र से अधिक नहीं होना चाहिए ।

ख) सकल फसल क्षेत्रफल≥नेट बुवाई क्षेत्र यदि नेट बोया गया क्षेत्रफल > 0 .

ग) यदि सकल फसल क्षेत्र >0 , तो निवल बुवाई क्षेत्र >0.

घ) यदि निवल बुवाई क्षेत्र >0 , तो सकल फसलित क्षेत्र >0.

ङ) मिश्रित फसलों/अंतरफसल क्षेत्र को बुवाई के समय उनके बीज बुवाई के अनुपात में विभिन्न फसलों के अंतर्गत विभाजित किया जाएगा। ऐसी जानकारी सामान्यतः राज्य में जिला स्तरीय कृषि कार्यालय में उपलब्ध होती है ।

*** इन कॉलमों के अंतर्गत, संदर्भ वर्ष 2021-22 के दौरान प्रचालन धारक द्वारा उगाई गई सभी फसलों का योग दर्शाएँ। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुसूची में डेटा रिकॉर्ड करने के लिए केवल 4 फसलों का संकेत दिया गया है जो केवल उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है। इसलिए, 2021-22 के दौरान धारक द्वारा उगाई गई फसलों की अधिक संख्या को समायोजित करने के लिए उसी ब्लॉक -ई को बढ़ाया जा सकता है।*

अनुबंध-II

अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

1. प्रचालन भू-धारक

पूर्णतः या आंशिक रूप से कृषि उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली समस्त भूमि जिसे स्वामित्व, कानूनी रूप, आकार या स्थान के निरपेक्ष किसी एक व्यक्ति द्वारा या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर एक तकनीकी इकाई के रूप में उपयोग किया जाता है।

2. तकनीकी इकाई

तकनीकी इकाई को उस इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक ही प्रबंधन के अधीन है तथा जिसके पास श्रम शक्ति, मशीनरी और जैसे पशु उत्पादन के समान साधन हैं।

3. कृषि उत्पादन

कृषि उत्पादन में फसलें, फल, अंगूर, बीज, वृक्ष नर्सरी (वन वृक्षों को छोड़कर), सब्जियां और फूल की खेती, कॉफी, चाय, कोको, रबर, जूट, तिलहन का उत्पादन, चारा घास आदि शामिल है।

यदि घास को उगाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं, तो इसे भी फसल माना जाएगा।

4. प्रचालित क्षेत्र

प्रचालित क्षेत्र के अंतर्गत खेती योग्य और गैर-खेती योग्य दोनों प्रकार की भूमि शामिल होगी। बशर्ते कि संदर्भ अवधि के दौरान इसका कुछ हिस्सा कृषि उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाए । उदाहरण के लिए, यदि एक प्रचालित जोत में चार सर्वेक्षण संख्याएँ हैं, जिनमें से एक सर्वेक्षण संख्या गैर-कृषि उपयोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है , तो प्रचालित जोत का कुल क्षेत्रफल सभी चार सर्वेक्षण संख्याओं के कुल भौगोलिक क्षेत्र के बराबर होगा।

इसमें धारक के घर सहित कृषि भवनों द्वारा अधिगृहित भूमि भी शामिल होगी, बशर्ते कि ऐसी इमारतें प्रचालित क्षेत्र के भीतर स्थित हों। यदि कृषि भवन खेती वाले क्षेत्र से बाहर स्थित हैं और आबादी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसी इमारतों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

प्रचालित क्षेत्र में सरकारी वन भूमि , सरकारी बंजर भूमि, गांव की आम चरागाह भूमि, आबादी क्षेत्र आदि शामिल नहीं होंगे। यदि सरकारी बंजर भूमि किसी व्यक्ति को आवंटित की गई है तो उसे भी जोत में शामिल किया जाएगा।

यदि जोत का पूरा क्षेत्र (प्रचालन जोत के सभी सर्वेक्षण नंबरों का क्षेत्र) गैर-कृषि उपयोग में लाया जाता है या चालू वर्ष सहित दो वर्षों तक परती पड़ा रहता है, तो इसे प्रचालन जोत नहीं माना जाएगा। तथापि, यदि प्रचालन जोत का पूरा क्षेत्र संदर्भ वर्ष के दौरान परती है, लेकिन पिछले वर्ष उस पर खेती की गई थी, तो भी इसे प्रचालन जोत माना

जाएगा । प्रचालन जोत में खेती की गई और बिना खेती की गई दोनों तरह की जमीनें शामिल होंगी। यदि निवल बोया गया क्षेत्र और वर्तमान परती दोनों शून्य हैं, तो ऐसी जोत को प्रचालन जोत नहीं माना जाएगा, हालांकि भूमि उपयोग के वर्गीकरण के अन्य भाग में कुछ क्षेत्र मौजूद हो सकता है। साथ ही, यदि संपूर्ण प्रचालित क्षेत्र संदर्भ वर्ष के दौरान आंशिक रूप से परती है और आंशिक रूप से गैर-कृषि उपयोग में है और जो उपज पिछले वर्ष में परती भूमि नहीं थी, तो भू-जोत को भी प्रचालनात्मक भू-जोत मानते हुए कृषि संगणना में शामिल किया जाएगा।

कुछ मामलों में, भूमि को परिवार के सभी सदस्यों के बीच विभाजित किया जाता है। जहां इसे पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के बीच विभाजित किया जाता है और पति द्वारा परिवार के मुखिया के रूप में इस पर खेती की जा रही है, तो ऐसी भूमि को उचित रूप से प्रचालनात्मक जोत के रूप में माना जा सकता है।

ऐसे मामले हो सकते हैं जब एक जोत से अधिक सह-भागीदारों के नाम पर संयुक्त रूप से दिखाई जाती है, जबकि वास्तविकता में भूमि निजी रूप से विभाजित हो और सह-भागीदार स्वतंत्र रूप से खेती कर रहे हों। ऐसे मामलों में जहां कोई विवाद नहीं है, वहां स्वतंत्र कृषकों की संख्या के रूप में उन्हें कई प्रचालनात्मक जोतों के रूप में माना जाना चाहिए। यह आवश्यक है क्योंकि कृषि संगणना के आंकड़ों को कानूनी स्थिति के बजाय वास्तविक स्थिति के आधार पर एकत्र किया जाता है।

कुछ राज्यों में, जमाबंदी रजिस्टर में एक खाते के सामने तीन या चार व्यक्तियों के नाम दिखाए जाते हैं। जबकि अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि यह केवल एक जोत है, व्यवहार में, सभी तीन या चार व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र रूप से भूमि पर खेती कर रहे हैं, हालांकि भूमि का कोई कानूनी विभाजन नहीं हुआ है। संगणना के दृष्टिकोण से, यह तीन या चार प्रचालनात्मक जोतों का गठन करेगा, जैसा भी मामला हो।

राज्य वनों में खेती वाले क्षेत्रों के लिए, विस्तृत भूमि अभिलेख तैयार नहीं किए जाते हैं। राजस्व अभिलेखों और राजस्व एजेंसी की अनुपस्थिति में ऐसे क्षेत्रों को संगणना उद्देश्यों के लिए बाहर रखा गया है। प्रचालित क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

i) ज़मींदार और स्व-प्रचालित।
ii) पट्टे पर भूमि।
iii) अन्यथा प्रचालित भूमि।

भूमि का स्वामित्व और स्व-प्रचालित: वह भूमि जिस पर किसान को स्थायी विरासत का अधिकार है, उसे स्वामित्व के अधीन माना जाएगा। इसमें शामिल होंगे:

(i) सरकार या अन्य किसी से अनुदान या पट्टे पर या अंतरण के अधिकार के साथ या उसके बिना स्थायी विरासत के अधिकार वाली भूमि
(ii) स्थायी पट्टे के तहत प्रचालित भूमि। स्व-प्रचालित भूमि में शामिल होगी:
(iii) भूमि, जिस पर स्वयं खेती की जा रही हो
(iv) भूमि, जिस परिवार के सदस्य द्वारा खेती की जा रही

(v) दिहाड़ी मजदूरों की मदद से खेती की जा रही भूमि। स्वामित्व वाली और स्व-प्रचालित भूमि में अन्य किसी व्यक्ति को पट्टे पर दी गई भूमि शामिल नहीं होनी चाहिए।

पट्टे पर ली गई भूमि: पट्टे पर ली गई भूमि को पट्टेदार के किसी स्थायी स्वामित्व के अधिकार के बिना दूसरों से पट्टे पर ली गई भूमि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

अन्यथा प्रचालित क्षेत्र: इसमें अतिक्रमण, जबरन कब्जा की गई भूमि, अनधिकृत या विवादित भूमि आदि शामिल होंगे, जिसे उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार स्वामित्व या पट्टे पर नहीं माना जा सकता है।

5. प्रचालनात्मक जोत-धारक

एक प्रचालनात्मक जोत-धारक वह व्यक्ति होता है जिसके पास कृषि जोत के प्रचालन की जिम्मेदारी होती है और जो तकनीकी पहल करता है और इसके प्रचालन के लिए जिम्मेदार होता है। उसके पास पूरी आर्थिक जिम्मेदारी हो सकती है या वह इसे दूसरों के साथ साझा कर सकता है। प्रचालनात्मक जोत-धारक व्यक्तिगत/संयुक्त/संस्थागत हो सकता है।

(i) **व्यक्ति**: यदि जोत या तो अकेले एक व्यक्ति द्वारा प्रचालित की जा रही है या उन व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रचालित की जा रही है जो एक ही परिवार के सदस्य हैं तो इसे व्यक्तिगत जोत माना जाएगा।

(ii) **संयुक्त**: यदि अलग-अलग परिवारों से संबंधित दो या दो से अधिक व्यक्ति, कृषि जोत के प्रचालन के लिए आर्थिक और तकनीकी जिम्मेदारी में संयुक्त रूप से भागीदार के रूप में साझा हैं, तो ऐसी जोत को संयुक्त माना जाएगा।

(iii) **संस्थागत**: सरकारी खेतों, गन्ना कारखानों/खेतों, सहकारी खेतों, ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित भूमि जैसी जोत को संस्थागत माना जाएगा।

6. निवासी, गैर-निवासी और मानित निवासी प्रचालनात्मक जोत-धारक

किसी गांव विशेष में रहने वाले और एक ही तहसील (उप-जिले) के भीतर किसी भूमि पर खेती करने वाले सभी किसान उस गांव के निवासी किसान हैं, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि वे उस गांव में खेती कर रहे हैं या नहीं। निवासी कृषक के पास या तो (i) कृषक के निवास ग्राम में स्थित जोत का संपूर्ण क्षेत्र होगा; (ii) आंशिक रूप से निवास ग्राम के भीतर और आंशिक रूप से इसके बाहर जोत होगी; या (iii) पूरी तरह से निवास ग्राम के बाहर।

तहसील (उप-जिला) के बाहर एक प्रचालनात्मक जोत-धारक का प्रचालन क्षेत्र जिसमें उसका निवास स्थान पड़ता है, कृषि संगणना के उद्देश्य से इस तहसील (उप-जिला) में उन्हें निवास ग्राम के किसान के रूप में नहीं माना जाएगा, बल्कि उसे उस तहसील (उप-जिले) के उस गांव के निवासी किसान के रूप में माना जाएगा।

यदि किसी गाँव विशेष का क्षेत्र एक कृषक द्वारा प्रचालित किया जाता है जो उस गाँव के बाहर रहता है, लेकिन उसी तहसील (उप-जिले) के भीतर रहता है, तो वह उस क्षेत्र के लिए एक अनिवासी प्रचालनात्मक जोत-धारक है। हालांकि, यदि वह प्रचालनात्मक जोत-धारक तहसील (उप-जिले) के बाहर स्थित गाँव का निवासी है, जिसमें वह क्षेत्र स्थित है तो उसे उस गाँव का निवासी प्रचालनात्मक जोत-धारक

(डीम्ड रेजिडेंट) माना जाएगा जहाँ वह क्षेत्र तहसील (उप-जिला) में स्थित है।

7. **पूर्ण/आंशिक-जोत**

किसी जोत को पूर्ण जोत कहा जाता है यदि उस जोत का पूरा प्रचालित क्षेत्र एक गांव में स्थित है। यदि प्रचालित क्षेत्र एक से अधिक गांवों में फैला हुआ है तो उसे आंशिक-जोत माना जाएगा।

तहसील (उप-जिला) को आंशिक-जोत के समेकन के लिए बाहरी सीमा के रूप में लिया जाएगा।

8. **निवल सिंचित और निवल असिंचित क्षेत्र**

8.1 निवल बुआई क्षेत्र का वह हिस्सा, जिसे संदर्भ अवधि के दौरान सिंचाई मिली है, उसे निवल सिंचित क्षेत्र के रूप में दर्शाया जा सकता है। अन्यथा, यदि संदर्भ वर्ष के दौरान निवल बुआई क्षेत्र को कोई सिंचाई नहीं मिली है तो पूरे क्षेत्र को निवल असिंचित माना जाएगा। दूसरे मामले में (जोत के अनुसार), उदाहरण के लिए, अगर एक जोत में दो अलग-अलग पार्सल/प्लॉट हैं, जिनमें से एक को सिंचाई मिली है और दूसरे को नहीं तो सिंचाई प्राप्त करने वाले प्लॉट का निवल क्षेत्र, निवल सिंचित क्षेत्र होगा और दूसरे प्लॉट का निवल क्षेत्र, जिसे सिंचाई नहीं मिली है, निवल असिंचित क्षेत्र होगा।

8.2 संदर्भ वर्ष के दौरान यदि सम्पूर्ण बोए गए क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती है, तो ऐसी जोत को पूर्णतः असिंचित माना जाएगा तथा सम्पूर्ण असिंचित क्षेत्र के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा।

8.3 सिंचाई के लिए किए गए प्रयासों का आकलन करने के पश्चात ही सिंचाई की स्थिति तय की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई भूखंड केवल प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि नालों, बारिश आदि से सिंचित है और सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, तो भूखंड को असिंचित माना जाएगा। जबकि, उपाय (जैसे पंप-सेट का उपयोग, श्रम, तालाब/टैंक का निर्माण आदि) किए जाते हैं, तो इसे सिंचित माना जाएगा।

9. **भूमि उपयोग**

संचालित क्षेत्र को निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा:

i) सकल बोया गया क्षेत्र
ii) वर्तमान परती
iii) वर्तमान परती के अलावा परती भूमि
iv) परती भूमि को छोड़कर अन्य बंजर भूमि
v) खेती योग्य बंजर भूमि; और
vi) खेती हेतु अनुपलब्ध भूमि।

सकल बोया गया क्षेत्र: फसलों और बागों के साथ बोया गया कुल क्षेत्र, जिसमें एक ही वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र, केवल एक बार शामिल है।

वर्तमान परती: फसल क्षेत्र, जो चालू वर्ष के दौरान परती रखा गया है, लेकिन पिछले वर्ष में खेती की गई थी। उदाहरण के लिए, यदि किसी अंकुर क्षेत्र में उसी वर्ष फसल नहीं उगाई गई है, तो उसे वर्तमान परती माना जा सकता है।

वर्तमान परती के अलावा परती भूमि: सभी भूमि जिसमें खेती की जा रही है एक वर्ष से अधिक और पाँच वर्षों से कम अवधि के लिए अस्थायी रूप से खेती नहीं हो रही है, यानी एक वर्ष से अधिक लेकिन पाँच वर्षों से कम या बराबर। ऐसी भूमि को परती रखने के कारण निम्नलिखित में से एक या अधिक हो सकते हैं:

ii) कृषक की गरीबी
iii) पानी की अपर्याप्त आपूर्ति
iv) प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियाँ
v) नहरों और नदियों में गाद जम जाना और
vi) खेती की अलाभकारी प्रकृति

परती भूमि को छोड़कर अन्य बंजर भूमि: इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

i) स्थायी चरागाह और अन्य चरागाह भूमि: सभी चरागाह भूमि, चाहे वह स्थायी चरागाह/घास का मैदान हो या न हो। गांव की आम चरागाह भूमि को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
ii) विविध वृक्ष फसलों के अंतर्गत भूमि: खेती योग्य भूमि, जो बोए गए सकल क्षेत्र में शामिल नहीं है, लेकिन कुछ कृषि उपयोग किया जा रहा है। कैसुरीना के पेड़ों, छप्पर वाली घास, बांस की झाड़ियों और ईंधन के लिए अन्य उपवनों के अंतर्गत आने वाली भूमि, जो 'बागों' के अंतर्गत शामिल नहीं है, इस श्रेणी में शामिल की जाएगी।

iii) खेती योग्य बंजर भूमि: खेती के लिए उपलब्ध सभी भूमि, चाहे एक बार खेती के लिए ली गई हो या नहीं, लेकिन पिछले पांच वर्षों या उससे अधिक समय में किसी कारण से चालू वर्ष सहित खेती नहीं की गई हो। ऐसी भूमि पूरी तरह या आंशिक रूप से झाड़ियों और जंगलों से ढकी हो सकती है, जिसका कोई उपयोग नहीं किया जाता है। एक बार खेती की गई लेकिन लगातार पांच वर्षों तक खेती नहीं की गई भूमि भी इसमें शामिल होगी। परिचालन धारकों की ऐसी भूमि केवल कृषि जनगणना में शामिल की जाएगी

खेती के लिए अनुपलब्ध भूमि: इसमें वन, गैर-कृषि उपयोग के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र, तथा परिचालन धारक की बंजर और अकृषि योग्य भूमि शामिल होगी:

i) वन: वनों से संबंधित किसी भी कानूनी अधिनियम के तहत 'वन' के रूप में वर्गीकृत या वनों के रूप में प्रशासित सभी भूमि, चाहे वह राज्य के स्वामित्व वाली हो या निजी और चाहे वह वनाच्छादित हो या संभावित वन भूमि के रूप में रखी गई हो। वन में उगाई जाने वाली फसलों का क्षेत्र और चरागाह भूमि या वनों के भीतर चरागाह के लिए खुले क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। कृषि जनगणना के उद्देश्य से केवल परिचालन धारक के निजी वन को ही शामिल किया जाएगा।
ii) गैर-कृषि उपयोग के तहत क्षेत्र: इमारतों या तालाबों या कृषि के अलावा अन्य उपयोगों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सभी भूमि को इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा। परिचालन धारक की खेती की जोत के भीतर केवल ऐसी भूमि को ही जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए।
iii) बंजर और गैर-खेती योग्य भूमि: परिचालन धारक की खेती की जोत के भीतर सभी बंजर और गैर-खेती योग्य भूमि को जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए।

अनुबंध- III

क्र. सं.	फसल कोड	फसल
1.	9999	सभी फसलें
2.	0101	सभी धान (0111, 0121, 0131 का कुल योग)
3.	0111	पूर्व खरीफ धान
4.	0121	ग्रीष्मकालीन धान
5.	0131	खरीफ धान
6.	0102	ज्वार
7.	0103	बाजरे
8.	0104	मक्का
9.	0105	रागी
10.	0106	गेहूँ
11.	0107	जौ
12.	0108	कुटकी
13.	0109	जॉबस्टीयर्स
14.	0110	ग्रिम
15.	0186	सवां
16.	0187	रामदाना
17.	0188	अन्य अनाज
18.	0199	कुल अनाज
19.	0201	चना
20.	0202	तूर (अरहर)
21.	0203	उड़द
22.	0204	मूंग
23.	0205	मसूर
24.	0206	कुल्थी दाल
25.	0207	बीन्स (दालें)
26.	0208	मटर (दालें)
27.	0209	मोठ
28.	0288	अन्य दालें
29.	0299	कुल दालें
30.	0399	कुल खाद्यान्न
31.	0401	गन्ना
32.	0402	पामवरिया
33.	0488	अन्य चीनी फसलें
34.	0499	कुल चीनी फसलें
35.	0501	मिर्च (काली)

क्र. सं.	फसल कोड	फसल
36.	0502	मिर्च
37.	0503	अदरक
38.	0504	हल्दी
39.	0505	इलायची (छोटी)
40.	0506	इलायची (बड़ी)
41.	0507	एरीकानट
42.	0508	लहसुन
43.	0509	धनिया
44.	0510	इमली
45.	0511	जीरा
46.	0512	सौंफ़/अनीस बीज
47.	0513	जायफल
48.	0514	मेंथी
49.	0515	लौंग
50.	0516	दालचीनी
51.	0517	कोको
52.	0518	कचोलम
53.	0519	बीटलवाइन
54.	0520	अजवायन
55.	0521	केसर
56.	0522	तेजपत्ता
57.	0588	अन्य मसाले
58.	0599	कुल मसाले
59.	0601	आम
60.	0602	नारंगी
61.	0603	मोसम्बी
62.	0604	नींबू/एसिड लाइम
63.	0605	अन्य खट्टे फल
64.	0606	केला
65.	0607	खाने वाला अंगूर
66.	0608	वाइन अंगूर (काला)
67.	0609	सेब
68.	0610	नाशपाती
69.	0611	आड़ू
70.	0612	आलूबुखारा
71.	0613	कीवी फल
72.	0614	चीकू
73.	0615	पपीता

क्र. सं.	फसल कोड	फसल
74.	0616	अमरूद
75.	0617	बादाम
76.	0618	अखरोट
77.	0619	काजू
78.	0620	खुबानी
79.	0621	कटहल
80.	0622	लीची
81.	0623	अनानास
82.	0624	तरबूज
83.	0625	खरबूजा
84.	0626	ब्रेडफ्रूट
85.	0627	बेर
86.	0628	बेल
87.	0629	सहतूत
88.	0630	आंवला
89.	0631	अनार
90.	0632	शरीफा
91.	0633	पैशनफ्रूट
92.	0634	रेम्पुटन
93.	0635	जामुन
94.	0636	केला
95.	0637	किन्नू
96.	0638	स्ट्रॉबेरी
97.	0688	अन्य फल
98.	0699	कुल फल
99.	0701	आलू
100.	0702	टैपिओका (कसावा)
101.	0703	शकरकंद
102.	0704	रतालू
103.	0705	एलीफेंट फुट येम
104.	0706	कोलोकेसिया/अरुम
105.	0707	अन्य कंद फसल
106.	0708	प्याज
107.	0709	गाजर
108.	0710	मूली

क्र. सं.	फसल कोड	फसल
109.	0711	चुकंदर
110.	0712	शलगम
111.	0713	टमाटर
112.	0714	पालक
113.	0715	अमरंथ (चौलाई)
114.	0716	पत्ता गोभी
115.	0717	अन्य पत्तेदार सब्जियाँ
116.	0718	बैंगन
117.	0719	मटर (सब्जी) (हरा)
118.	0720	भिन्डी
119.	0721	फूलगोभी
120.	0722	खीरा
121.	0723	लौकी
122.	0724	कद्दू
123.	0725	करेला
124.	0726	अन्य गौर्ड
125.	0727	वेंच (ग्वार)
126.	0728	बीन्स (हरा)
127.	0729	सहजन
128.	0730	हरी मिर्च
129.	0731	तोरई
130.	0732	टिंडा
131.	0733	चिचिण्डा
132.	0734	कोवल (छोटी लौकी)
133.	0788	अन्य सब्जियाँ
134.	0799	सभी सब्जियाँ
135.	0899	कुल खाद्य फसलें
136.	1001	मूंगफली
137.	1002	अरंडी के बीज
138.	1003	तिल
139.	1004	रेपसीड एवं सरसों (टोरिया/तारामिरा)
140.	1005	अलसी का बीज
141.	1006	नारियल
142.	1007	सूरजमुखी

क्र. सं.	फसल कोड	फसल
143.	1008	सैफ्लॉवर
144.	1009	सोया बीन
145.	1010	नाइजरसीड
146.	1011	ऑयल पाम
147.	1088	अन्य तिलहन
148.	1099	कुल तिलहन
149.	1101	कपास
150.	1102	जूट
151.	1103	मेस्टा
152.	1104	सनहेम्प
153.	1188	अन्य फाइबर
154.	1199	कुल फाइबर
155.	1201	नील
156.	1288	अन्य रंग और टैनिंग सामग्री
157.	1299	कुल रंग और टैनिंग सामग्री
158.	1301	अफ़ीम
159.	1302	तंबाकू
160.	1388	अन्य ड्रग्स एवं नशीले पदार्थ
161.	1399	कुल ड्रग्स एवं नशीले पदार्थ
162.	1401	ग्वार
163.	1402	जई
164.	1403	हरी खाद
165.	1488	अन्य चारा फसलें
166.	1499	चारा और हरी खाद
167.	1501	चाय
168.	1502	कॉफी
169.	1503	रबड़
170.	1588	अन्य बागान फसलें
171.	1599	कुल बागान फसलें
172.	1601	ऑर्किड
173.	1602	गुलाब
174.	1603	ग्लेडियोलस
175.	1604	कार्नेशन
176.	1605	गेंदे का फूल
177.	1606	चमेली

क्र. सं.	फसल कोड	फसल
178.	1607	गुलदाउदी
179.	1608	रजनीगंधा
180.	1609	जरबेरा
181.	1610	गैलार्डिया
182.	1611	एंथुरियम (फूल)
183.	1688	अन्य फूल
184.	1699	कुल पुष्पकृषि फसलें
185.	1701	असगंध
186.	1702	इसबगोल
187.	1703	सना
188.	1704	मूसली
189.	1705	अन्य औषधीय पौधे
190.	1706	मेहंदी
191.	1707	एलोवेरा
192.	1708	बेकोपामोनीरी
193.	1711	लेमन ग्रास
194.	1712	पुदीना
195.	1713	मेन्थॉल
196.	1714	युकेलिप्टस
197.	1715	अन्य सुगंधित पौधे
198.	1716	चंदन
199.	1717	वनीला
200.	1799	कुल सुगंधित एवं औषधीय पौधे
201.	1801	केन (बेंत)
202.	1802	बांस
203.	1803	शहतूत की फसल
204.	1804	थेस्पेसिया
205.	1805	सागौन
206.	1806	सुबबुल
207.	1807	कैसुरीना वृक्ष
208.	1888	अन्य गैर-खाद्य फसलें
209.	1899	कुल अन्य गैर-खाद्य फसलें
210.	1999	कुल गैर-खाद्य फसलें

****